# "औरत होने के नाते..."

(महिला विकास कार्यक्रमों पर एक आलोचनात्मक रपट)

अक्तूबर 1991

# आभारोक्ति

हम नया गांव, अमली और देवलिया खुर्द (जिला अजमेर) की महिलाओं और पुरुषों, सरपंचों और साथिनों के सहयोग और आतिथि के लिए कृतज्ञता से उनका आभार प्रकट करते हैं।

हम केकरी महिला समूह के आभारी हैं कि उन्होंने अपने न्याय के संघर्ष में भाग लेने का हमें मौका दिया और जिसके सदस्यों ने अपने तनाव और परेशानी के बावजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय निकाला।

इस रिपोर्ट में उठाये गये महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से विचार विमर्श करने के लिये हम अजमेर महिला समूह के ऋणी हैं। अपने अनुभवों और प्रलेखों को जिस खुलेपन और निस्वार्थता से उन्होंने हमारे साथ बांटा उससे हमें मुद्दों को विशलेषण करने हेतु बहुमूल्य आयाम मिले।

इन सबसे अधिक महत्व की बात है कि इस अनुभव ने न्याय के लिये हमारे सामूहिक संघर्ष को नई शक्ति प्रदान की है।

# महिला विकास कार्यक्रम–राजस्थान
# अजमेर जिले पर केन्द्रित एक रिपोर्ट

## विषय सूची


1. भूमिका
2. महिला विकास कार्यक्रम की संरचना
3. महिला विकास कार्यक्रम, राजस्थान का परिपेक्ष्य (भाग-1)
4. सेवा शर्तें (भाग 2)
5. निष्कर्ष
6. चर्चा के व्यापक मुद्दे
7. परिशिष्ट



खोजबीन करने वाले दल के सदस्य

1. सहेली
2. सबला संघ दिल्ली
3. एक्शन इण्डिया दिल्ली
4. दिशा, दिल्ली
5. विमेंस् सेन्टर, बम्बई
6. फाओ बम्बई
7. आवाजे-ए-निसवान, बम्बई

# भूमिका

मार्च 1991 के दूसरे सप्ताह के दौरान देश भर के स्वायत्त महिला संगठनों को राजस्थान के अजमेर जिले के दो महिला समूहों अर्थात महिला समूह केकरी और महिला समूह अजमेर, द्वारा लिखे गये पत्र प्राप्त हुए। इन पत्रों में, सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काम कर रही छः महिला कार्यकर्त्ताओं की मनमाने ढ़ंग से की गई बर्खास्तगी पर चिन्ता व्यक्त की गई थी। इन छः कार्यकर्त्ताओं में से पाँच साथिन (ग्राम स्तर की कार्यकर्त्ता) और एक प्रचेता (उनकी समन्वयकर्त्ता) के पद पर काम कर रही थी।

इन पत्रों के अनुसार, दिसम्बर 1990 में कालीकट में आयोजित नारी आन्दोलन के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के अजमेर जिले से आई, चालीस महिलाओं में से सत्रह महिला समूह, केकरी का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो कि केकरी पंचायत समिति में शामिल नौ गांवों का एक स्थानीय महिला समूह है। इन औरतों ने कालीकट तक आने जाने का खर्चा स्वयं उठाया था और सम्मेलन के विभिन्न कार्यक्रमों और बहसों में सक्रिया रूप से भाग लिया था। इन में से दस महिलाएं सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला विकास कार्यक्रम की वेतनभोगी कार्यकर्ता थीं।

सम्मेलन से लौटने के बाद, महिला विकास कार्यक्रम के अधिकारियों ने एक रात करीब ग्यारह बजे तीन साथिनों जादब बाई, वर्दी बाई और गीता बाई को सोते हुये उठाया ओर अजमेर के जिला इदारा में स्थित दफ्तर में ले गये। अगली सुबह तीनों साथिनों को न केवल परेशान और अपमानित किया गया बल्कि उन पर कालीकट सम्मेलन में अपना अलग झंडा फहराकर सम्मेलन में स्वतन्त्र रूप से हिस्सा लेकर महिला विकास कार्यक्रम की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने का आरोप भी लगाया गया। अन्ततः 15 फरवरी 1991 को किरन दूबे को, जो पिछले साढ़े चार वर्षों से प्रचेता के पद पर कार्य कर रही थी, अकारण मुअत्तल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त पतासी बाई, गीता बाई, झूमा बाई, नौसर बाई और नन्दू बाई, जिन्होंने डेढ़ साल से चार साल तक साथिनों के रूप में कार्य किया था को भी बिना कोई कारण बताये बर्खास्त कर दिया गया।

महिला समूह (केकरी) ने अपने पत्र में कई प्रश्न सामने रखे "हमारा क्या कसूर है ? क्या कालीकट सम्मेलन में हमारा भाग लेना गलत था ? हमारे प्रशिक्षण के दौरान हमें संगठित होना सिखाया जाता है ? उसी के अनुरूप हमारे गाँव की महिलाऐं संगठित भी हुई। हमने अपना पैसा खर्च किया था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए यदि हम अपने झण्डे के साथ गई तो उसमें क्या गलत था ? साथिनों की पत्रिका में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी साथिन को मुअत्तल करने के लिए, गांव की बैठक बुलाना और गांव की औरतों की सलाह लेना जरुरी है। ऐसा नहीं किया गया। हम न्याय चाहते हैं"। यह चिट्ठियां जो कि कालीकट सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले सभी समूहों को भेजी गई, इन मूद्दों को व्यापक रूप से उठाने का प्रयास होने के साथ-2 देश भर के महिला संगठन से समर्थन पाने की अपील भी थी।

कई संगठनों ने इन अपीलों के जवाब में महिला कार्यकर्त्ताओं जिनको नौकरी से निकाला गया था, को समर्थन के पत्र लिखे और महिला विकास कार्यक्रम के उच्च स्तर के अधिकारियों को मनमाने निर्णयों और स्वेच्छा चारी व्यवहार की निन्दा की।

दिल्ली में और अधिक संगठित रूप से कदम उठाए गए। 29 मार्च 1991 को 'सहेली' द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा करने और बर्खास्त महिला कार्यकर्त्ताओं के समर्थन में ठोस कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक मिटिंग बुलाई गई। इसके लिए एक्शन इण्डिया, अंकुर, सी. डब्लयू. डी. एस. जागोरी, जे. एम. एस., ज्वाइंट वूमेन्स प्रोग्राम, काली फार

वूमेन, एन. एफ. आई. डब्लयू. निर्माण मजदूर पंचायत संगम, सबला संघ और शक्तिशाली समूहों को बुलाया गया। परन्तु बैठक में केवल एक्शन इण्डिया, जे. डब्लयू. पी., निर्माण मजदूर पंचायत संगम्, शक्तिशलिनी और सहेली ने ही हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि इन महिला कार्यकर्त्ताओं जिन्हें परेशान किया और जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, के प्रति समर्थन जाहिर किया जाये। इस बात की भी जरुरत महसूस की गई कि सरकारी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से औरतों तक पहुंचने के वैयक्तिक और महिला समूहों के प्रयत्नों की आलोचनात्मक समीक्षा की जाये और नारी आन्दोलन पर इनके प्रभावों का मुल्याकंन किया जाए। अतः यह तय किया गया कि एक दल जिसे 'तथ्याशोधक दल' कहते हैं सभी संबन्धित लोगों से मिलने अजमेर और जयपुर जाए। (परिशिष्ट 1 देखिए) 1 इस निर्णय की जानकारी बम्बई और बंगलौर के कुछ महिला समूहों और देश के अन्य भागों में कुछ व्यक्तियों को भी दी गई। कुछ एक लोगों ने जवाब दिया और इस प्रकार एक टीम के रूप में 20 अप्रैल 1991 को हम अजमेर पहुंचे और 24 अप्रैल तक वहां रहे।

## हम सब क्यों गए ? हमारी खोज का लक्ष्य क्या था ?

हम सब जो अजमेर आऐ थे, उनके लिए छः महिला कर्मियों की बर्खास्तगी चिन्ता का मुख्य विषय था, परन्तु यह प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रर्वत्तित महिला विकास कार्यक्रमों के अनुभवों का विश्लेषण करने में पहला कदम भी साबित हुई। राजस्थान, भारत का प्रथम राज्य था जिसने महिला विकास के लिए राज्य द्वारा संचालित और समर्थित कार्यक्रम शुरू किया। 1984 में इस के प्रारम्भ के बाद से दूसरे राज्यों, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात ने भी इस का अनुसरण किया और इसी प्रकार के कार्यक्रमों का ढांचा बनाया। आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों को अन्य कई राज्यों तक ले जाने की योजना है। यह महसूस किया गया कि सरकार द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम का सबसे पुराना माडल होने की वजह से, राजस्थान के पिछले छः साढ़े छः साल के अनुभव भविष्य में इन कार्यक्रमों में आने वाली प्रवृतियों का संकेत दे सकते है, विशेष रूप से जब सरकार इन्हें देश भर में लागू करने का विचार रखती है।

हालांकि ये कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं परन्तु फिर भी ये 'सामान्य' सरकारी कार्यक्रमों से काफी भिन्न थे। हम में से अधिकतर लोगों ने इस प्रोजेक्ट का परिचय राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं से प्राप्त किया जो इस प्रोजक्ट में काम कर रही थी और जिन्होंने तीसरे और चौथे, पटना (1981) और कालीकट (1990) सम्मेलनों में हिस्सा लिया। सभी प्रकार के मुद्दों पर इनकी आलोचनात्मक, संवेदनशील, सर्तक और अनुभवी भागीदार और उनके रंगीले, संगीतमय उत्साह में कुछ ऐसी बात थी जो सब के मन को छू गई और उनके साथ एक जुड़ाव महसूस हुआ। इस में संदेह नही की बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण महिलाओं तक पहुचने की संभावना और सामर्थ्य इस कार्यक्रम का सबसे सकारात्मक पक्ष रहा है। लेकिन यह 'शक्ति' (empowerment) प्रदान करने की प्रक्रिया स्वयं में ही कई प्रकार के अन्तर्विरोधों और समस्याओं की जननी बन गई।

तथ्याशोधक दल के अधिकतर सदस्य महिला समूह और महिला विकास कार्यक्रम की गतिविधियों से परिचित थे, उदाहरणार्थ, स्त्री की जनन शक्ति पर लिखी किताब 'शरीर की जानकारी', सुन्दर तरीके से चित्रित, सामूहिक प्रयास से विकसित, एक ऐसा योगदान है जिसने काफी लोगों को प्रभावित किया है। हम में से कुछ ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिला विकास कार्यक्रम के साथ काम किया है। और कुछ अन्य जनसंख्या की रोकथाम के मुद्दे पर अक्तूबर 1989 में जयपुर में आयोजित औरत और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान उत्पन्न हुये विवाद के सिलसिले में व्यापक संवाद शुरू करने के प्रयासों का हिस्सा बनीं। अतः ऐसा नहीं था कि हम सब सदस्य एक जैसी समझ के साथ इकटठे हुए थे। लेकिन उन चार दिनों के दौरान, जो हमने वहाँ बिताये और उन बैठकों—वहाँ के संबंधित लोगों के साथ व आपस में जो हमने की—के उपरान्त स्पष्टता और सर्वसम्मति उभर कर आई जो जरूरी भी थी।

निस्संदेह, उन महिला कार्यकर्त्ताओं को बर्खास्तगी के प्रति एक सदज और स्वाभाविक विरोध की भावना थी। न केवल कार्यकर्त्ताओं को, बिना किसी नियम प्रणाली या बिना पर्याप्त कारण बताये बगैर की गई बर्खास्तगी का विरोध करना जरुरी था बल्कि महिला विकास कार्यक्रम के अधिकारियों द्वारा उनको अपमानित और परेशान करना भी असहनीय था।

जिन लोगों से हम मिले उनकी प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। गांव की औरतें और साथिनें अपने अनुभवों को बांटने के लिए अत्यन्त उत्सुक थी और अपनी लड़ाई में समर्थन चाहती थी। लेकिन महिला विकास कार्यक्रम के अधिकारियों की तो बात ही कुछ और थी। कार्यक्रम की महिला अधिकारियों और उनसे जुड़े संगठनों के विचार में हमारे दल द्वारा किये जाने वाले प्रयास नकारात्मक और आंदोलन में फूट डालने बाले थे। दल के सदस्यों की विश्वसनीयता व निष्ठा पर संदेह प्रकट किया गया। हमारे प्रयासों को अंदरुनी मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। दल के पूर्वाग्रहित होने की बात की जिससे जानकारी के विकृत होने की संभावना का डर जाहिर किया। उन्होंने तो 'तथ्यान्वेषण' शब्द के इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति उठाई यह कहकर कि इस शब्द का उपयोग गंभीर अपराधों बलात्कार, हिरासत में मृत्यु इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। इसके विकल्प में 'संवाद' शब्द के उपयोग का सुझाव दिया गया जो कम धमकी वाला प्रतीत होता है। इसके बावजूद भी विरोधात्मक व आपसी अविश्वास का एक ऐसा माहौल बना रहा जिसमें संवाद की सभावनायें बहुत कम थी।

एक प्रकार से हमारा अभी का अनुभव अक्तूबर, 1989 में जयपुर में नारी संगठनों द्वारा 'औरत और स्वास्थ्य' पर आयोजित कार्यशाला में हुये अनुभवों से मिलता जुलता था। यह बात स्पष्ट तौर से सामने आई कि जनसंख्या नियन्त्रण के मुद्दे पर सरकार और औरतों के हितों में टकराव था। चूंकि अधिकतर लोग वे ही थे जो जयपुर की बैठक में भी उपस्थित थे अतः यह कोशिश की गई कि संवाद शुरू किया जाये और सरकारी ढ़ाचे में काम करने की दुविधाओं पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाये। बातचीत के दौरान यह साफ हो गया कि कार्यक्रम के साथ जुड़ी महिलाओं ने चुप रहने की राजनीति को अपनाया हुआ था और संवाद शुरू होने के पक्ष में नहीं थी। केवल दो ही विकल्प नजर आते थे। या तो कार्यक्रम से अलग हों जायें या फिर सरकारी नियन्त्रण में काम किया जाये, इस विश्वास के साथ ही कार्यक्रम के सकारात्मक पहलू नियंत्रणों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

दल को मध्यस्थता की कोशिशों के दौरान कई दुविधाओं के साथ समझौता करना पड़ा। हम में से कुछ एक ने कई मौकों पर, जैसे कि महिला सम्मेलनों के दौरान मैत्रीपूर्ण माहौल में महिला विकास कार्यक्रम की महिला अधिकारियो के साथ मिलकर काम किया था। हांलाकि यह मुशिकल था फिर भी इन महिलाओं के व्यक्तिगत विश्वासों और भागीदारी को हम सरकारी कार्यक्रम में उनकी हिस्सेदारी से अलग रखने में सफल हुये। इसके अतिरिक्त, बावजूद इसके कि म. वि. का. बड़ी संख्या में ग्रामीण औरतों तक पहुंचने और उन्हें संगठित करने में सफल हुआ था और उसने नारीवादी शब्दावली, प्रतीकों और तरीकों को अपनाया था, फिर भी था तो यह एक सरकारी कार्यक्रम। यह अंतर्विरोध विशेष रुप से उस समय और स्पष्ट हो जाता है जब सरकार के और औरतों के हितों में टकराव होता है।

यह रिर्पोट महिला वि. का. की कार्यप्रणाली को उसके कथित लक्ष्यों, जिनका झुकाव ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब वर्ग की महिलाओं के प्रति नजर आता है, के प्रकाश में समझने का प्रयास है। रिर्पोट दो भागों में बांटी गई है। पहले भाग में म. वि. का. के ढाँचे का विवरण है। और कार्यक्रम के परिपेक्ष्य को उजागर करने के लिए कुछ गतिविधियों का विशलेषण है जिसमें जनसंख्या नियन्त्रण के महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरा भाग कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित है जो इस प्रयास का केन्द्रीय मुद्दा है और जिससे हमने शुरूआत की थी।

# महिला विकास कार्यक्रम का ढांचा

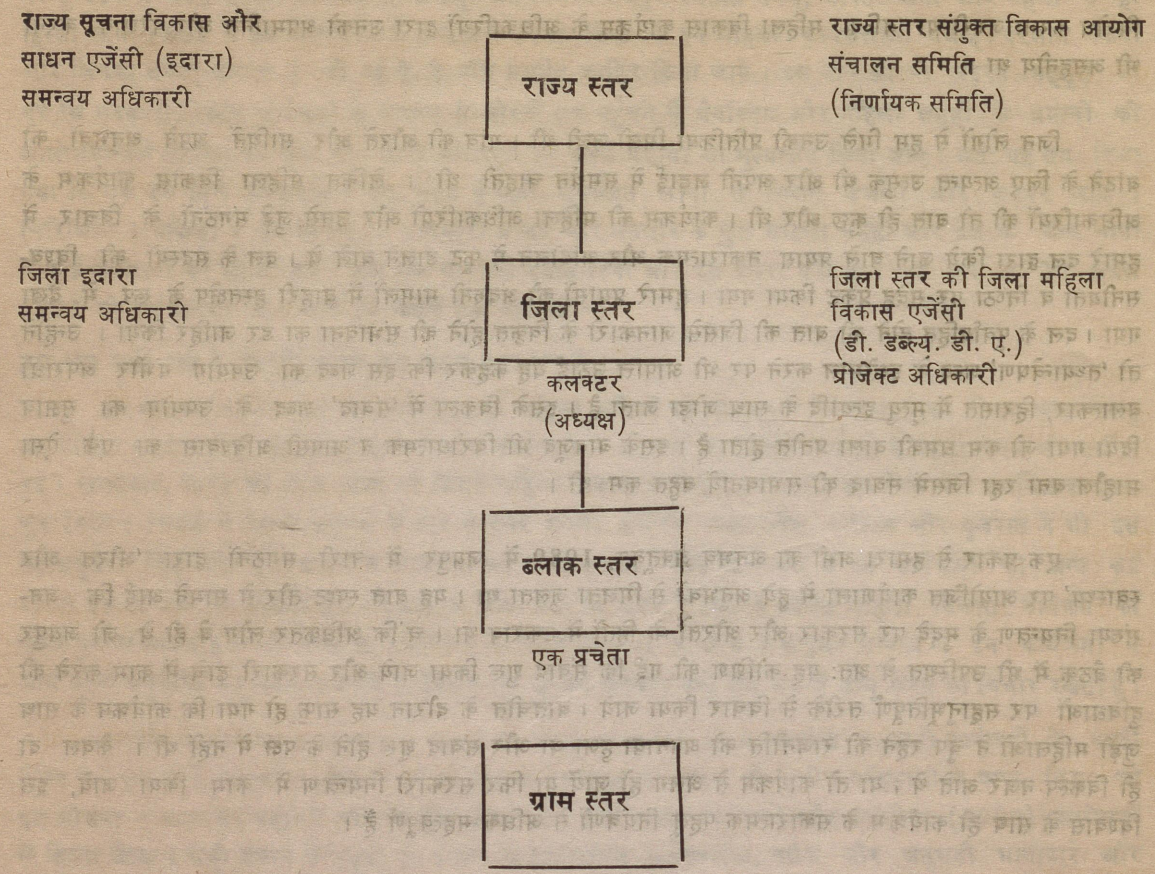


प्रत्येक जिले में —100 महिला विकास केंद्र
प्रत्येक दस महिला विकास केन्द्रों में—एक प्रचेता निरीक्षक
प्रत्येक महिला विकास केन्द्र में—एक साथिन (प्रत्येक 5000 की जनसंख्या की ग्राम पचायत या 4-6 गांवों के पीछे)

म. वि. का. की संरचना को तीन स्रोतों के संगम से बनाने का सोचा गया था। पहले ऐसा ढांचा जिसमें जनता के बीच काम कर रहे स्वेच्छिक संगठनों की आंतरिक दृढ़ता हो, दूसरे उसे सरकारी कार्यक्रमों की सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त हो और तीसरे शोध संस्थाओं से उसे निरंतर विश्लेषणात्मक सोच मिलती रहे। (सम्भावनाओं की खोज)।

महिला विकास कार्यक्रम को यूनिसेफ (Unicef) की आर्थिक मदद द्वारा 1984 मे राजस्थान के छः जिलों भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, बाँसवाडा, जोधपुर और अजमेर में शुरू किया गया।

निम्न संगठनात्मक ढांचा सोचा गया जो कि वर्तमान माडल के रूप में अभी भी प्रचलित है ।

### ग्राम स्तर

हर चुनी हुई ग्राम पंचायत में प्रशिक्षित गांव स्तर की कार्यकर्ता 'साथिन' शामिल होती है जो कि ग्राम पंचायत के किसी गाँव से जुड़ी होती है। ग्राम स्तर के महिला मंच बनाना उसी की जिम्मेदारी होती है। दस ग्राम पंचायतों के समूह के साथ दस साथिनों के कार्यों का समन्वय एक प्रचेता के द्वारा किया जाता है ।

### ब्लाक स्तर

प्रचेता, ब्लाक स्तर की सरकारी अधिकारी, साथिन को मदद और निर्देशन प्रदान करती है और जिला स्तर के अधिकारियों से सम्पर्क की कड़ी है ।

### जिला स्तर

(अ) जिला महिला विकास एजेन्सी, जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कार्य करती है। प्रत्येक एजेंसी का संचालन योजना निर्देशक करता है जिसकी मदद के लिए एक योजना अधिकारी रहता है ।

(ब) जिला स्तर पर तकनीकी साधन सहायता, सूचना विकास और साधन एजेन्सी (इदारा) द्वारा प्रदान की जाती है। यह एक स्वैच्छिक एजेन्सी है जो प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करती है ।

### राज्य स्तर

(अ) जिला स्तर की सूचना विकास और साधन एजेन्सियों के कार्य का समन्वयन राज्य स्तर की इदारा के द्वारा किया जाता है ।

(ब) महिला विकास कार्यक्रम का निर्देशक कार्यक्रम का पूर्ण रूप से प्रभारी है ।

(स) कार्यक्रम के मूल्यांकन और देखभाल के काम में इन्सटीट्यूट आफ डिवेल्पमेंट स्टडीस, जयपुर मदद करता है ।

# भाग 1

# महिला विकास कार्यक्रम, राजस्थान, का परिपेक्ष्य

छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85 से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने विचार विमर्श कर महिलाओं के विकास की नीति को कार्यरूप दिया। महिला विकास कार्यक्रम उसी नीति का परिणाम है।

यह नीति (भाग-4, योजना, प्रस्ताव, मई, 1984) महिलाओं के विकास संबंधी मौजूदा कार्यक्रमों को पुनः निधारित करने और नये कार्यक्रमों के आरम्भ करने की आवश्यकता पर बल देती है।

> "औरतों के प्रति होते हुए अन्याय व उनके प्रति जो उदासीनता है उसे समझने के लिए अधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता नहीं है। बिना स्कूली शिक्षा के अवसरों के जीवन के कठोर सत्य सीखती हैं। श्रम करते हुये भी उन्हें श्रमिक नही माना जाता। और उनसे यह आशा की जाती है कि वे जीवन भर पुरुषों-पिता, पति व पुत्र, के आदेशों का पालन करें। न केवल ग्रामोण व शहरी महिलाओं की स्थिति में, बल्कि विभिन्न वर्गों की महिलाओं की स्थिति में भी बहुत अंतर है। हमें ग्रामीण व कस्बों और शहरों में रहने वाली निम्न-मध्यम व श्रमिक वर्ग की महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए।"

वंचित समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए नीति का मुख्य उद्देश्य : औरतों के प्रति दया कल्याण की भावना के स्थान पर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक स्थितियों में, शिक्षा व संस्कृति के क्षेत्रों में औरत को पुरुष के बराबर सहयोगी मानना है। स्त्री व पुरुष की समानता के लिए जोर देने पर परिवार में अभी परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं लेकिन सामान्य रूप से यह समानता उनके बीच उचित व सदभावनापूर्ण संबधों को जन्म देगी। नये मानदण्ड और संतुलन ऐसे होने चाहिए जो परिवार को सशक्त बनाये और साथ ही साथ महिलाओं की स्वतन्त्र पहचान, उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं व इच्छाओं को भी मान्यता दें।

इस सब की प्राप्ति के लिए महिला विकास कार्यक्रम (म. वि. का.) का प्रमुख उद्देश्य था "महिलाओं को जानकारी, शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा सफल बनाना और उन्हें इस योग्य बनाना कि वे अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिती को समझ सकें व बदल सकें। दस्तावेज 'संभावनाओं की छान-बीन म. वि. का., राजस्थान, की समीक्षा', भी इस बात का संकेत देता है कि इस 'सबल' का क्या अभिप्राय हो सकता है। इस दस्तावेज के पृष्ट 13 और 15 पर लिखा है "विकास एक ऐसी धारणा है जो इसमें लगे लोगों के व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन की अपेक्षा करता है जिससे ऐसे अनुभव जन्म ले जो महिलाओं को अपनी आत्म-छवि के साथ-2 अपनी सामाजिक छवि को बदलने में भी सहायता मिले जिससे वे स्वयं में व अपनी सामूहिक शक्ति में खोये हुए विश्वास को फिर से पा सके। एकता व बहनापे में विश्वास जो व्यक्तिगत दुख-दर्द, तिरस्कार व वर्षों तक मूक भाव से सब कुछ सहने के अनुभव के साथ-2 खुशी के क्षणों की भी आपस में बांट लेने से पैदा हुआ है। व्यापक सामाजिक प्रक्रिया के संदर्भ में अपने अस्तित्व की धारणा पैदा करना है।"

म. वि. का. का संकलन निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है :

अधिकतर सरकारी योजनायें महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उनके पास इन योजनाओं से लाभ उठाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर पर महिलाओं को प्रभावी तरीके से भागीदारी के द्वारा लचीला और विविधतायूर्ण ढाँचे बनाना संभव है, बनाया जा सकता है।

वैचारिक स्तर पर विकास को 'आंतरिक विकास' ही मानना चाहिए, न कि विभिन्न योजनाओं को प्रदान करना। विकास की पहली शर्त है आशा और विश्वास का वातावरण जो आत्मसम्मान व सामूहिक प्रयास पैदा करें । ग्रामीण महिलाओं के इस कार्यक्रम का मुख्य काम है विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इन परिस्थितियों को सुविधापूर्वक उपलब्ध कराना ।

लम्बे समय से महिला विकास की जिम्मेदारी पुरुषों के हाथ में रही—परिवार, सरकार व समाज में । इसलिए सभी स्तरों पर महिलाओं पर यह जिम्मेदारी डालने के लिए निर्णयात्मक बदलाव लाने की आवश्यक्ता है ।

यह सब किस लक्ष्य के लिये ? यदि हम आलोचनात्मक दृष्टि से, ग्राम स्तर पर उठाये गये मुद्दों और समस्याओं को सुलझाने के लिए सोचें व अपनाये गये तरीकों को देखें तो म. वि. का. का परिपेक्ष्य और भी स्पष्ट रूप से समझने में सहायता मिल सकती है । निम्नलिखित उदाहरण दस्तावेज 'संभावनाओं की छान-बीन' से लिये गये हैं ।

**उठाये गये मुद्दे :**

1. साथिन द्वारा अजमेर जिले में चल रहे "हैण्ड पम्प अभियान" की सूचना मिलने पर दातन गांव की महिलाओं ने सरपंच की मार्फत गांव में दो पम्प लगाने के लिए आवेदन पत्र दिया । एक पम्प हरिजन बस्ती के लिए और दूसरा गूजर बस्ती के लिए । जब पी. एच. ई. डी. विभाग से एक दल पम्प लगाने आया तो उच्च जाति के पुरुषों ने उन्हें पम्प नहीं लगाने दिया । वे नहीं चाहते थे कि निम्न जाति की बस्ती में पम्प लगे । फिर भी झगड़े के बावजूद किसी तरह से दल ने हरिजन बस्ती में पम्प लगा दिया । उसके बाद दल गूजर बस्ती में पम्प लगाने के लिए तीन बार आया परन्तु हर बार उन्हें पम्प लगाने से रोका गया । महिलाओं ने उनसे चौथी बार आने का आग्रह किया । और दिन भर गूजर बस्ती में खड़ी रही । तब कहीं जाकर वहां पम्प लगवाने में सफल हुई ।

झगड़ा गाव की उच्च व निम्न जाति के लोगों के बीच स्थानीय स्तर का था । जिससे गांव तक पीने का पानी पहुंचाने वाली सरकारी योजना को गरीबों तक पहुंचने में बाधा पड़ रही थी । पर सरकार ने अपना काम बहुत सराहनीय ढंग से पूरा किया । हिंसा की आंशका के बावजूद टीम को दो पम्प लगाने के लिए पाँच बार गांव भेज कर अपना दायित्व व जिम्मेवारी निभाई ।

2. किसी अन्य गांव के उच्य जाति के परिवारों ने सलेमाबाद गांव की चारागाह पर कब्जा कर लिया । साथिन ने गांव के लोगों और सरपंच के साथ मिलकर उन लोनों का सामना किया । सरपंच ने हिंसा होने की आशंका से एस. डी. ओ. और पुलिस को सूचना कर दी । भूमि उन्हें वापिस दिला दी गई ।

यहां भी दो गांवों के उच्च जाति के परिवारों के बीच स्थानीय स्तर पर झगड़ा था । बिना किसी हिंसात्मक घटना के, जमीन का वापिस मिलना, एस. डी. ओ. और पुलिस के हस्तक्षेप की वजह से था या नहीं इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है । इसलिए उनकी भूमिका पर टिप्पणी करना असंभव है ।

3. अकाल संबंधी कार्य करने वाले 'मेट' ने अकाल के लिए काम करने वालों की सूची से 11 महिलाओं के नाम काट दिये । सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नसबन्दी करवाने से इंकार कर दिया था । और 'मेट' को तो सौंपे गये परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करना था । कालेसारा गांव की साथिन के कुछ उच्च सरकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के बाद ही उन निकाले गये नामों को फिर सूची में शामिल किया गया ।

नसबंदी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गांव वालों पर बहुत दबाव डाला जाता है । और इसकी जड़ है जनसंख्या नियन्त्रण के लिए अत्याचारी राष्ट्रीय कार्यक्रम। हो सकता है, उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप करने का अभिप्राय यह गलत विचार फैलाने के लिए रहा हो कि दबाव सरकार की और से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर के अधिकारियों की

और से था। निश्चय ही लक्ष्यों की कल्पना 'मेट' ने स्वयं नहीं की होगी। ऐसी चाल से हम परिचित ही है जब इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधान मंत्री थी, ने आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी के उत्पीड़न को केवल यह कह कर टाल दिया कि यह कुछ अति उत्सुक अफसरों का जोश मात्र है।

4. मालवा छोरा गांव के बहुत से पुरुष अवैध तरीके से शराब बना रहे थे और इस के परिणाम स्वरुप शराब पीना और पतियों की मार-पीट बढ़ रही थी। जाजम में साथिनों ने शराब पीने को गैर कानूनी घोषित करने का सामूहिक निर्णय लिया। पुलिस चौकी पर जब इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने तब तक कोई भी कार्यवाही करने से इंकार कर दिया जब तक कि पुरुष सड़कों पर अभद्र व्यवहार करते पकड़े जायें। यह मुद्दा और गंभीर हो गया जब एक साथिन के पति ने शराब के नशे में उसे पीटा। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए गाँव में साथिनों, प्रचेता, योजना निर्देशक, गांव के नेताओं आदि की बैठक बुलाई गई। साथिन के पति ने अपनी गलती मान ली। बैठक में उपस्थित एक महिला पुलिस अधिकारी ने यह धोषणा की कि भविष्य में जो पुरुष अवैध शराब पियेंगे और अपनी पत्नी को पीटेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कुछ पुरुष उस साथिन को जाति से बाहर कर देना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से बाहर के लोगों के सामने उन्हें 'बेइज्जत' होना पड़ा। लेकिन गांव की महिलाओं ने उसका पक्ष लिया और उसे जाति से बाहर करने से बचा लिया।

यह स्पष्ट नहीं है कि इस समस्या को सुलझाने में महिला पुलिस अधिकारी व योजना अधिकारियों की सामूहिक शक्ति और प्रभाव किस हद तक निर्णायक थे। यह भी स्पष्ट नही है कि क्या इस अवसर को जनजातियों में नशे की समस्या की शुरुआत को समझने के लिए इस्तेमाल किया गया या नहीं।

5. छिछ गांव के सरकारी भंडार का व्यापारी अपने रजिस्टर में पांच महीनों से गांव की महिलाओं को चीनी बेचने का झूठा हिसाब दिखा रहा था। साथिन ओर गांव की औरते सचिव व ब्लाक विभागीय अधिकारी के पास शिकायत लेकर गई। जांच पड़ताल के बाद उस व्यापारी को मुअत्तल कर दिया गया।

इस मामले में अपराधी स्थानीय दुकानदार था और सचिव व ब्लाक विभागीय अधिकारी महिला विकास कार्यक्रम के हितेषी थे।

ऊपर दिये गये उदाहरण यह दर्शाते है कि स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे उठाये गये वे जातीय झगड़ों ओर निहित स्वार्थों से जुड़े हुये थे जो सरकारी अधिकारियों, पुलिस और महिला विकास कार्यक्रम के कार्यकर्त्ताओं के हस्तक्षेप से निपटाये जा सके। ये उदाहरण महिला विकास कार्यक्रम के विकास के लिए घोषित प्रस्तावों में से एक की उपलब्धि से संबंधित है। सभी स्तरों पर बिना किसी बाधा के कार्यक्रम के परिपालन के साथ-2 आपसी विश्वास और भरोसा बनाये रखना — इस कार्यक्रम की एक खास विशेषता है कि इसमें सरकारी, गैर सरकारी स्वायत्त संस्थायें व बुद्धिजीवी सभी मिलकर काम करते हैं। परन्तु इसकी यही विशेषता इस पूर्वाग्रह को और दृढ़ करती है कि किसी पर भी विश्वास करना संभव है।

## विश्वास का मिथक :

सवाल उठता है कि यदि कोई मुददा सरकारी हितों के या उच्च स्तर के सरकारी अधिकारियों के या किसी ताकतवर निहित स्वार्थों के विरोध में हो तो उस हालात में क्या होगा ? नीचे दिये गये उदाहरण, जो उसी दस्तावेज 'संभावनाओं की छान-बीन' से लिए गये हैं, इन मुददों पर कार्यक्रम का दृष्टिकोण समझने में सहायता कर सकते हैं।

1. स्थानीय डाक्टर और नर्सें (जो शायद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से थे) अस्पताल के निधारित समय के दौरान

मरीजों को देखने से इंकार कर देते थे। और फीस लेने के अभिप्राय से मरीजों को अपने घर पर आने को कहते। चाँदलई गांव की जाजम में इस मुद्दे हर चर्चा हुई। तय किया गया कि अगली बैठक में डाक्टरों और नर्सों को भी बुलाया जाये और इस विषय पर चर्चा की जाये। उन्हें लगा कि ऐसा करने पर ही उनको दोनों तरफ की सही बात की जानकारी मिल सकेगी। उस बैठक के अनुसार साथिनों और ए. एन. एम. के लिए एक कार्यकाला का आयोजन किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इनके आपसी कार्य संबंधी रिश्तों का विकास हुआ और एक दूसरे के लिए समर्थन भी कुछ हद तक बढ़ा।

उपरोक्त ब्यौरा यह नहीं बताता कि डाक्टर उस बैठक में उपस्थित थे या नहीं। वे अपने निजी व्यवसाय को बंद करने के लिए सहमत हुये या नहीं। उस बैठक के नतीजे के बारे में केवल इसी बात का जिक्र किया गया है कि साथिन व ए: एन. एम. के आपसी संबंध बेहतर हुये।

2. आप-पास के कारखानों से बचा हुआ पदार्थ नदी में गिरने से सालखास गांव की नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। स्पष्टतया यह प्रदूषित जल, जानवर व इंसानों दोनों के ही स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक था। इस विषय पर गांव में अनेक बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि प्रबंधक इस समस्या का समाधान करने में असफल हो जाते है तो कारखाने के बाहर एक दिवार बना दी जाये। जिलाधीश ने मामले में हस्ताक्षेप करने की जिम्-मेवारी ली और आश्वासन दिया कि कारखाने में शीघ्र ही शोधक यंत्र लगाये जायेंगे।

इस उल्लेख से यह बात स्पष्ट नही होती कि यह कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र के थे या निजी क्षेत्र के ओर न ही यह स्पष्ट होता है कि कारखाने के बाहर दीवार बना देने से भूमि तथा पानी में नशीले पदार्थों का रिसना कैसे रुक जाता (किसी भी हाल में, गांव के लोग क्यों अपना पैसा और श्रम लगायें) और फिर इस कथनो से 'कि यदि प्रबंधक इस समस्या का समाधान करने में असफल हो जाते हैं, यह नही पता चलता कि प्रबंधकों के साथ 'बातचीत' के लिए गांव वालो को ही पहल करनी थी अथवा किसी और को। और अंतत: जिलाधीश की ही भूमिका को ही देखें। उनका तो काम है ऐसी अनियमिताओं की जांच पड़ताल करना व उन्हें रोकना है। उन्होंने हस्तक्षेप की जिम्मेवारी ऐसी ली जैसे कोई उपकार कर रहे हों। और फिर —

क्या प्रबंधक कोई समाधान ढूंढने में सफल हुये ?
क्या दीवार बनाई गई ?
क्या जिलाधीश ने हस्तक्षेप किया ?

इन सवालों के जवाब हमें भी नही मिले।

**जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम :**

सरकार के दबावपूण परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति महिला विकास कार्यक्रम के अधिकारियों के रवैये का उदाहरण हमें उनके सरकारी नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को दबाने के तरीके से मिलता है।

अजमेर जिले में सरकार के दबावपूर्ण रवैये का पहला संकेत हमें गांव बड़ा खेड़ा, ज्वाजा में 8-9 जनवरी 1986 की जाजम बैठक में हुई चर्चा की विषय सूची से मिलता है। चर्चा का विषय था। अकाल संबंधी काम के लिए श्रमिक महिलाओं के चयन के लिये नसबन्दी की शर्त का और कुछ क्षेत्रों में औरतों की जबरन नसबन्दी का प्रबल तिरस्कार (संभावनाओं की छान-बीन, 45)। इसका अर्थ यह है कि महिला विकास कार्यक्रम के कार्यकत्ताओं को जनवरी 1986 से ही इस बात की जानकारी थी। और कम सेकम एक जाजम बैठक में उसके यानि कि परिवार नियोजन के लिये दबाव डालने के विरोध में अपना मत प्रकट किया था। उसी रपट के पृष्ट 49 पर हमें यह भी देखने को मिलता

है कि साथिनों को गाँव में परिवार नियोजन के आपरेशन व अकाल संबंधी कार्य करने वालों के चयन के बीच जुडाव पर जानकारी इकटठी करने के लिए भी कहा गया था।

परिवार नियोजन के लिये जबरदस्ती करने के विरोध पर महिला विकास कार्यक्रम की राय हमें सरला नाएडू द्वारा अजमेर जिले की प्रचेताओं को दिनांक 22-2-86 को लिखे एक पत्र से मिलती है। तब वे D. W. D. A. की योजना निदेशक थी। पत्र इस प्रकार है :—

विषय : परिवार नियोजन गतिविधियों से उभरने वाली समस्याओं से संबंधित।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिलाधीश ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये आपके तथा साथिनों के सहयोग की सराहना की है। उनका आपसे आग्रह है कि जिन लोगों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार किया है उनकी सहायता उसी जोश व लगन के साथ जारी रखें। आपकी नजर में यदि कोई ऐसी घटना आती है, भले ही वह घटना छोटी या महत्वहीन ही क्यों न हो, जहाँ नसबंदी के आपरेशन में किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती का प्रयोग किया गया हो तो आपसे विनती है कि आप पूरा विवरण लिखकर सम्बन्धित महिला के नाम व हस्ताक्षर के साथ दफ्तर को भेजें यदि आवश्यक हो तो गांव के A.N.M., B.D.O. व तहसीलदार को भी प्रति भेज कर सूचित करें। उनसे निजि तौर पर मिल सकती है। इस संदर्भ में गांव के लोगों को भी पूरा समर्थन दें। भले ही वह ममला आपका हो या न हो आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे मामलों की आप सूचना दें व उनमें सहायता करें। इस संदर्भ में जिलाधीश एक आदेश भी जारी करेंगे। इस पत्र की सूचना सभी साथिनों तक पहुंचा दें ताकि वे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बना सकें।

और यह ऐसे समय पर हुआ जब राजस्थान के स्वास्थ्य सचिव द्वारा जिलाधीशों के नाम एक एक परिपत्र जारी किया जा चुका था। परिपत्र में जिलाधीशों को पुरस्कार का प्रोत्साहन देते हुये परिवार नियोजन कार्यक्रम को 'आगे बढ़ाने' के लिए अनुरोध किया गया था। संक्षेप में परिपत्र इस प्रकार हैं।

"परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जिलाधीशों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने 1986-87 के दौरान उनके नेतृत्व के लिए निम्नलिखित पुरस्कार देने का निश्चय किया है :—

नसबंदी के लिए वार्षिक लक्ष्य का 130 प्रतिशत, 7 दिन के विश्व भ्रमण के लिए मुफ्त हवाई यात्रा।
लक्ष्य का 115 प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के लिये मुफ्त हवाई यात्रा।
लक्ष्य का 100 प्रतिशत रंगीन टेलिविजन, दूखर्ती नियंत्रण (रिमोट कंट्रोल) सहित।
लक्ष्य का 90 प्रतिशत रेफरीजरेटर।
पिछले वर्ष की उपलब्धि से 20 प्रतिशत अधिक के लिये, छोटा रंगीन टेलिविजन (पोरटेबल टी. वी.)।

इस प्रकार जहां एक ओर अजमेर में D. W. D. A. ने दबाव पूर्ण नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों को लक्ष्य पार करने का बढ़ावा दिया और उस महेनत के फल में विदेश में छुटिट्यां मनाने का लाभ प्रदान किया।

जो लोग इस लक्ष्य पूर्ति का निशाना थे (गांव के स्त्री व पुरुष) उनको सरकारी म. वि. का. में साथिन के रुप में अब अपना एक प्रतिनिधि मिल गया था। उन्होंने साथिन से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को उठायें क्योंकि यह सरकार द्वारा उन पर एक बड़ा अत्याचार हो रहा था। और चूंकि उस समय स्वास्थ्य परियोजना को म. वि. का. का एक हिस्सा बना दिया गया था, डी. डबल्यु. डी. ए. और जिला इदारा, अजमेर ने इस मुद्दे को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। तदअतः, साथिनों और प्रचेताओं के साथ महिलाओं की नसबन्दी के तरीके व उसके पश्चात होने

वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिये एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय जनसंख्या नियन्त्रण के सापेक्ष महत्व तथा उस समीक्षा पर भी, विचार विमर्श किया गया। समस्या की गहराई जानने के लिए एक नियमबद्ध सर्वेक्षण और गांवों में हुये अत्याचारों के विशिष्ट उदाहरणों पर लिखित विवरण तैयार करने की योजना भी बनाई गई। (परिशिष्ट 2 देखें)

जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1988 में गांव के लोगों पर, खास तौर से महिलाओं पर नसबंदी करवाने के लिये दबाव डाला गया। राजस्थान तो पहले भी कई साल अकालग्रस्त रह चुका था। और लगभग भुखमरी की हालत का अवसर नसबन्दी करने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। अकाल राहत कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रुप से परिवार नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ती के साथ जोड़ दिया गया। अकाल राहत शिवरों पर भी रोजगार उन्हीं को उपलब्ध होता जो नसबन्दी करवाने को राजी होते थे। जो लोग किसी कारणवश (जैसे नसबन्दी के लिये 'अयोग्य' होने के कारण, बीमारी अथवा रजोनिवृति के कारण या बच्चों के मर जाने के डर से या परिवार के अधूरे आकार के कारण) नसबंदी नहीं करवा सकते उनका नाम रोजगार रजिस्टर से काट दिया जाता है। रोजगार पाने के लिये नसबन्दी करवाने पर मजबूर औरतों के लिए हाजरी रजिस्टर में चार या पांच जगह आरक्षित भी की जाती थी। अजमेर जिले की लगभग सभी पंचायत समितियों से महिला श्रमिकों को कार्य देने से इन्कार कर दिया गया। कुछ गाँवों में नसबंदी के लिये नये लोग तैयार नहीं हुये वहां स्वीकृति प्राप्त अकाल राहत कार्य भी रद्द कर दिये। नया गांव (केकड़ी पंचयात समिति) में चल रहे राहत कार्यों को जबरदस्ती वापिस ले लिया गया। गोविंदगढ़ और भदनवाड़ा में नसबन्दी शुदा पुरुषों को नये व्यक्ति की नसबन्दी करवाने पर ही रोजगार मिलता था।

लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ लोगों की जबरदस्ती दूसरी और तीसरी बार भी नसबंदी कर दी गई। विभिन्न कर्जे, जैसे, कुंआ खोदने, घर बनाने, पशु खरीदने, इत्यादि, नसबन्दी करवाने के बाद ही दिए जाते थे। नसबन्दी के लिए गांवों में कामचलाऊ शिविर बनाये गये। इन शिविरों में जिस असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर ढंग से नसबंदी के आपरेशन किये गये उससे समस्यायें बढ़ने लगीं। आपरेशन के दौरान लापरवाही से मौतें होने लगीं। यदि महिलायें कहतीं कि उनकी नसबंदी हो चुकी है तो उन्हें सार्वजनिक रुप से निशान दिखाने के लिए मजबूर कर अपमानित किया जाता था।

औरतों के स्वास्थ्य पर नसबंदी के परिणाम, परिवार के अस्तित्व पर इस कार्यक्रम के प्रभाव और गांव वालों पर किये गये अनेक अत्याचारों के प्रमाण पर एकत्रित जानकारी स्वास्थ्य दल ने म. वि. का. के उच्च अधिकारियों के समक्ष पेश की। यह जानकारी इदारा (अजमेर) के सदस्यों, अजमेर जिले की प्रचेता व साथिनों, आई.डी.एस. की कविता तथा स्वास्थ्य दल के तीन सदस्यों ने एकत्रित की थी। इस जानकारी को आपस में बांटकर, तथा इस पर विचार-विमर्श कर ठोस कार्यक्रम लेने के लिये एक सभा बुलाई जानी थी। निम्नलिखित मुद्दों पर एकदम ध्यान देने की आवश्यकता थी :

- साथिनों व गांव की महिलाओं द्वारा बताई गई ज्यादतियां जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के दौरान की गई जिनकी संख्या जनवरी 1988 की तुलना में काफी बढ़ चुकी थी।
- म.वि.का. की कार्यकर्ताओं (साथिनों व प्रचेताओं) के ऊपर परिवार नियोजन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरन्तर बढ़ता हुआ दबाव।

इन सब सवालों का महिला विकास कार्यक्रम तथा आई.डी.एस. की ओर से कोई जवाब न मिला। 12.4.88 को राज्य इदारा की ममता जेटली को स्वास्थ्य दल ने अपने पत्र में इस प्रकार लिखा :

"अजमेर जिले में परिवार नियोजन शिविरों के बारे में एकत्रित की गई जानकारी को शीघ्रतम आपस में बांटने, उस पर बातचीत करके ठोस कार्यक्रम लेने की आवश्यकता के प्रश्न को फिर से उठाया गया। गांवों में परिवार नियोजन शिविरों द्वारा उत्पन्न स्थिति के बारे में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न मिलने पर चिंता व्यक्त की गई। स्वास्थ्य दल को यह सलाह दी गई कि म.वि.का. के वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुये इस समय मुद्दे को म.वि.का. के अंतर्गत उठाना उचित नहीं होगा। इन कठिनाईयों के कारण तथा इस सच्चाई को देखते हुए कि यह समस्या केवल अजमेर जिले तक ही सीमित नहीं है, यह तय किया गया कि म.वि.का. के बाहर राजस्थान के अन्य संबंधित व्यक्तियों की एक अनौपचारिक सभा बुलाइ जाये। यह बैठक, उपस्थित समूह (प्रीतम, मंजू, कविता, ममता, आरती, मल्लिका और सत्या) द्वारा, संवेदनशील नागरिकों की हैसियत से बुलाई जाये। इसके लिए एक पत्र तथा सभा में निमंत्रित लोगों की एक सूची तैयार की गई। सभा पर होने वाला खर्च व्यक्तियों को स्वयं उठाना था।

अप्रैल 1988 में जयपुर में हुये पूर्व प्रचेता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी परिवार नियोजन की ज्यादतियों पर म.वि.का. के बाहर एक बैठक बुलाने के सवाल को उठाया गया और उस पर चर्चा भी की गई। निर्णय लिया गया कि विभिन्न जिलों के अनुभव बांटने के लिए इदारा की सभी शाखाओं की एक बैठक बुलाई जाये। और समर्थन देने वाले किसी अलग ढ़ांचे को विकसित करने की संभावना की खोज की जाये। इस पर टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य दल ने अपने उसी पत्र में कहा कि :

"हमारा यह विश्वास है कि म.वि.का. एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन व उनकी समस्याओं से संबंधित मुद्दों और आम मुद्दों को उठाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कई मौकों पर हमें बताया गया कि कभी-कभी प्रोजेक्ट को किसी गंभीर नुकसान से बचाने के लिए किसी विशेष समय पर कुछ मुद्दों को उठाना सही और जरूरी नहीं होता। ऐसा ही एक मुद्दा गांव में परिवार निगोजन कार्यक्रम की ज्यादतियाँ हैं जिसका प्रमाण साथिनों, म.वि.का. के कर्मचारी व स्वास्थ्य दल दे चुका है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुये हमें जल्द ही कुछ कदम उठाने चाहिए जिसके लिये राजस्थान में संबंधित व्यक्तियों और शुभचिंतकों की बैठक बुलाई गई थी। फिर भी लिए गये निर्णय बदल दिये गये और स्वास्थ्य दल को शामिल न करके कुछ प्रक्रियाओं को पहले ही से रद्द कर दिया गया। इससे हमें लगता है कि समस्या पर तत्काल ध्यान देने व गाँव के स्तर पर जरुरी काम करने अथवा अन्य प्रमाण जुटाने के काम में देरी हो रही है।"

मुद्दे को खत्म करने के उद्देश्य से विलम्ब करने की 'चाल' चली गई। पहले यह सोचा गया कि म.वि.का. मुद्दे को उठाने के लिए सही मंच नहीं है। फिर यह कहा गया कि म.विका. एक संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है क्योंकि यह साफ नहीं था कि योजना को आगे बढ़ाया जायेगा या नहीं। और ऐसे समय पर इस प्रकार के मुद्दे को उठाने से सरकार को कार्यक्रम बंद करने का बहाना मिल जाएगा। यह भी सोचा गया कि शायद म.वि.का. से अलग ऐसे ढ़ांचे के निर्माण को जरुरत होगी जहां इस प्रकार के मुद्दे उठाये जा सकें। और अन्ततः स्वास्थ्य परियोजना को समाप्त ही कर दिया गया।

जून 1988 में जयपुर में कुछ व्यक्तियों और समूहों/संगठनों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम में हुई ज्यादतियों पर चर्चा की गई। यह मंच किसी तरह आगे नहीं बढ़ पाया। जयपुर में ही 24-27 अक्तूबर 1989 को 'महिला और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यशाला' में ममता जेटली ने प्रीतम, मंजू, अर्चना, कविता, कंचन, शोभिता, दीप्ता और जया की ओर से इदारा के स्वास्थ्य दल के सदस्यों द्वारा उनपर लगाए आरोपों के उत्तर में एक पत्र लिखा :

"महिलाओं पर किये जा रहे परिवार नियोजन के आपरेशनों को आकाल राहत कार्य के साथ जोड़े जाने

पर सरकार के प्रति अपनी खुली बात राज्य और जिला स्तर पर व्यक्त नहीं की गई है। उस समय कार्यक्रम के अर्न्तगत इदारा का अस्तित्व खतरे में था। इसलिए उस समय हमारे लिए मुख्य बात यह थी कि किसी भी तरह इस मुद्दे को सुलझाया जा सके ताकि कार्यक्रम के ढांचे के सभी अंग संपूर्ण बने रहें।

हालांकि कार्यक्रम के अन्दर तय किया गया था कि राज्य स्तर पर इस तरह की कोई राय खुलकर व्यक्त नहीं की जायेगी, गांव के स्तर पर लेकिन उसी बात को पूरा प्रोत्साहन व समर्थन दिया गया। हमारे बीच भी लगातार बहस होती रही, और हम पुनर्विचार करते रहे कि ऐसी परिस्थिति में इस मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाया जाये। इसी प्रयास में 24 जून 1988 को कुमरप्पा संस्थान में एक राज्य स्तर की बैठक बुलाई गई। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया गया और म.वि.का. से अलग इस मुद्दे पर सामूहिक राय लेने की भावना पर विचार किया गया। परन्तु अन्य संगठनों से इस बैठक के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फलस्वरुप इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

इस तरह से गांव के स्तर पर जहां एक ओर गांव की महिलायें जबरन नसबंदी का शिकार थी वही दूसरी ओर गाँव के स्तर की कार्यकर्त्ताओं (साथिन और परिचेता) पर नसबंदी के अधिक केस लाने के लिए लगातार बढ़ रहे दबाव ने म.वि.का. के मूल उद्देश्यों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ऐसी परिस्थितियों में भी WDP और IDS के उच्च अधिकारियों के लिए स्वयं को बनाए रखने का प्रश्न ही प्रमुख बना। जिसके फलस्वरूप न केवल गांव की महिलाओं के साथ धोखा हुआ बल्कि म.वि.का. के मूल उद्देश्यों के साथ भी विश्वासघात किया गया।

नसबंदी के केस लाने का दबाव अभी भी जारी है। और इस साल, 8 मार्च को अजमेर जिले की साथिनों को जिलाधीश के सामन उस क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को सफल बनाने की शपथ लेने के लिए कहा गया था। उनका दो माह का वेतन भी रोक दिया गया सिर्फ इसलिये कि वे दिये गये लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई थीं।

## भाग-२

# शर्तें

म. वि. का. में योजना निदेशक, योजना अधिकारी और प्रचेता, राजस्थान सिविल सेवा (म. वि. का. में योजना निदेशकों, योजना अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के विशेष चुनाव और सेवा की शर्तों सम्बन्धी) नियमों के अधीन काम करते हैं जो राजस्थान गजट विशेष के माध्यम से सितम्बर 1984 में राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए और 11 दिसम्बर 1984 को इनमें कुछ संशोधन किए गए। ये शर्तें पदों, रिक्त स्थानों के निर्धारण, कार्यकाल चुनाव-पक्रिया, वेतनमानों इत्यादि से सम्बन्धित है। योजना के कार्यकर्ताओं को नौकरी से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सुरक्षा प्रदान की गई।

इन स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के बावजूद म. वि. का. के योजना अधिकारियों ने इनका पालन पूरी तरह से नहीं किया और इस बेकायदगी का आखिरी शिकार थी किरण दूबे।

प्रचेता किरण दूबे के मामले में क्या हुआ ?

किरण दूबे जिला महिला एजेंसी (डी. डब्ल्यु. डी. ए.)अजमेर में अगस्त 1985 से प्रचेता के पद पर काम कर रही है। राजस्थान सिविल सेबा नियमों (1984) के अनुसार 13-5-85 को हुई प्रारम्भिक नियुक्ति के बाद उसे अस्थाई तौर पर जिला अजमेर में प्रचेता के पद पर भेजा गया। उसका प्रारंभिक वेतन 625/- प्रति माह था। पहली नियुक्ति से लेकर 28-2-91 तक उसका कार्यकाल हर 3 महीने के बाद बढ़ा दिया जाता जिससे उसकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर ही बनी रही। परन्तु गौर करने वाली बात है कि उसके वेतन से भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) इत्यादि की कटौती उसी प्रकार की जा रही थी जैसे किसी स्थाई पद पर नियुक्त कर्मचारी के वेतन से की जाती है।

15 फरवरी 1991 को किरण को बर्खास्तगी का आदेश मिला जबकि उसका कार्यकाल 28 फरवरी 1991 को पूरा होना था। उस आदेश में केवल 'अस्थाई' पद से हटाने का जिक्र था। उस संदर्भ में किन्हीं कारणों का उल्लेख नहीं था।

उपरोक्त बातों से यह साफ हो जाता है कि किरण ने 13-8-85 से 15-2-91 (बर्खास्तगी की तारीख) तक लगातार प्रचेता के पद पर काम किया और उसे साढ़े पांच साल तक अस्थाई कार्यकर्ता के रूप में ही रखा गया। उस की बर्खास्तगी भी गैर कानूनी थी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार लिखित रूप में एक महीने का नोटिस व बर्खास्तगी के कारण दिए जाने चाहिए और काम से निकालने पर मुआवजा देना चाहिए था।

अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए किरण ने उच्च न्यालालय में केस (समादेश-याचिका) दर्ज किया। उसने यह भी मांग की कि उसकी नौकरी को नियमित किया जाये। उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को स्थगित कर दिया और किरण ने 25-3-91 को अपना कार्यभार संभाला। लेकिन प्रशासन ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए उसका तबादला केकड़ी से सिलोरा ब्लाक में कर दिया।

## अन्य अनियमितताए

म. वि. का. की अनियमितताओं की शिकार अकेली किरण दूबे ही नहीं बल्कि अन्य कार्यकर्ता भी हुए और विगत समय में भी कार्यक्रम के अनेक कार्यकर्ताओं ने जयपुर उच्च न्यायालय में शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के खिलाफ मुकदमे दायर किए थे।

रजनी शर्मा को जिला महिला विकास एजेंसी, जयपुर के दफ्तर में दैनिक वेतन पर 18-7-86 को निम्न स्तरीय क्लर्क (अवर श्रेणी लिपिक) के पद पर नियुक्त किया। उस समय से लेकर 19-2-91 तक रजनी प्रति माह बंधे-बंधाये 380 रु. दिहाड़ी के तौर पर दे दी जाती। 12-2-87 को उसे उसी दफ्तर में अस्थाई तौर पर स्टेनो (आशुलिपिक) के पद पर नियुक्ति किया। अभी भी वेतन उसे दिहाड़ी के तौर पर ही मिलता है भले ही अब उसे 625 रु. प्रति माह दिए जाते हैं। 17 अगस्त 1988 को रजनी ने निदेशक (महिला, बच्चे व पोषण) के जरिए इस अनियमितता को चुनौती देते हुए डी. डब्ल्यू. डी. ए. अजमेर और राज्य सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका (समादेश) दायर की।

हालांकि संबंधित विभाग ने 20-9-85 से दी स्टेनों के कई पद निश्चित वेतनमान के साथ स्थापित कर दिए थे, फिर भी जुलाई 1986 से रजनी कों दिहाड़ी पर अस्थाई तौर पर ही रखा गया। स्थापित पदों पर कोई स्थाई नियुक्ति नहीं की गई। बल्कि रजनी को स्थाई पद के खिलाफ दैनिक वेतन (दिहाड़ी) देते रहे। सरकारी वेतनमानों के अनुसार उसे 1986 में 893.75 रु. प्रति माह और 1987 में 1406.20 रु. प्रति माह दूसरे भत्तों के साथ मिलने चाहिए थे। 2 अगस्त 1989 को उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थियों को आदेश जारी किया कि वे नियुक्ति की तारीख से रजनी को भत्तों समेत सरकारी वेतनमानों के अनुसार भुगतान करें। इस दौरान सरकारी भत्ते संशोधित किए जा चुके थे। रजनी ने अब संशोधित वेतनमानों के अनुसार भुगतान करने के लिए दूसरी याचिका दायर की है।

मोहम्मद सिद्दीकी को 1-12-84 को 15 रु. दिहाड़ी पर अजमेर की जिला महिला विकास एजेंसी के योजना अधिकारी के दफ्तर में स्टेनों के पद पर नियुक्त किया। 13-5-85 तक 457 रु. प्रति माह के बंधे दर पर उसे उसी पद पर रखा गया। और चूंकि वह दिहाड़ी के तौर पर ही लगा हुआ था, इसलिए एक दिन की बिना मजूरी के छुट्टी लेने के कारण 11-11-87 को उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। न्यायालय ने इस बर्खास्तगी को गैर कानूनी व कपटपूर्ण घोषित किया और डी. डब्ल्यू. डी. ए. को आदेश दिया कि तीन महीने के अन्दर वह सिद्दीकी को उसकी नियुक्ति के समय से ग्रेड II स्टेटों के लिए निश्चित वेतनमान का न्यूनतम वेतन व भत्ते दे और इसके अतिरिक्त याचिका दायर करने पर हुये खर्च का भी भुगतान करे।

जिला महिला विकास एजेंसी, जयपुर के चौकीदार अयूब ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग पर नवम्बर 1989 को एक याचिका दायर की और एजेंसी के ड्राइवर अश्फक ने भी 12 मई 1989 को एक याचिका दायर की। दोनों को जनवरी 1990 में आदेश प्राप्त हुए थे।

एजेंसी के जयपुर दफ्तर में रितु को 1986 में दिहाड़ी के आधार पर 380 रु. प्रति माह की बंधी रकम पर नियुक्त किया गया। न्यायालय ने 2 अगस्त 1989 को उसे न्यूमतम वेतन, महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों (जैसे मकान किराया भत्ता, स्वास्थ्य, इत्यादि) के भुगतान करने का आदेश दिया। उसे नियुक्ति की तारीख से बकाया रकम तो मिल गई परन्तु महंगाई भत्ता नहीं मिला।

राज्य इदारा, जयपुर में स्टेनो, उर्मिल को 500 रु. प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 800 रु. प्रति माह कर दिया और जनवरी 1991 से इसे भी बढ़ाकर 1500 रु. प्रति माह कर दिया। जब कि वेतनमान के अनुसार उसे नियुक्ति के समय 1319 रु. और जनवरी 1991 से 2795 रु. प्रति माह मिलने चाहिये था। यह मामला अभी भी चल रहा है।

सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाले म. वि. का. के निम्न स्तरीय अधिकारी जो कानून की सहायता से ही राहत पाने का लाभ उठा सके उनके वेतन की जब ऐसी स्थिति है तो साथिनों की स्थिति तो उससे भी बदतर है।

**साथिनों की नौकरी की शर्तें :**

म. वि. का. के प्रस्ताव से प्रत्येक साथिन को प्रति माह 200 रु. का मानदेय (आनोरेरियम) देने का सुझाव दिया गया था।

मानदेय देने के पीछे क्या तर्क था, किस आधार पर यह रकम तय की गई या इस रकम को मानदेय ही क्यों कहा गया ? इन सबके बारे में योजना प्रस्ताव में कहीं कुछ भी नहीं बताया गया। (महिला विकास कार्यक्रम, राजस्थान, ग्रामीण विकास विभाग और पचायती राज, राजस्थान सरकार, मई 1984)।

इसके बारे में पहला संकेत हमें जिला इदारा की विजयलक्ष्मी जोशी द्वारा साथिनों व प्रचेताओं को दिनांक 19-7-86 को लिखे एक पत्र से मिलती है "साथिन कौन है ?" इस प्रश्न के जवाब में वह लिखती हैं :

"साथिन गांव की किसी भी अन्य औरत के समान है। वह सरकारी नौकर नहीं है परन्तु अगर वह सरकारी नौकर नहीं तो उसे 200 रु. प्रति माह क्यों मिल रहे हैं ? तो सुनिये, साथिन को जो रकम मिल रही है वह उसका वेतन नहीं है। यह मानदेय है उसे यह मानदेव इसलिए मिलता है कि अपना काम छोड़कर उसे दूसरों के काम के लिये इधर-उधर जाना पड़ता है और यह रकम उसे जेब खर्ची के तौर पर दी जाती है।"

साथिनों के बीच कम वेतन को लेकर काफी असंतोष था। पदमपुरा में 21-24 मार्च, 1990 को हुए मेले में इस असंतोष की अभिव्यक्ति सामूहिक रूप से हुई। जैसा कि एक साथिन ने बताया, पदमपुरा में हम सब साथिनों ने हड़ताल कर दी क्योंकि हमें लगा कि 200 रु. प्रति माह बहुत कम है। हम इतना अधिक काम करती हैं। सभी साथिनों को ऐसा ही महसूस हुआ। हमने माइक और स्टेज को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने माइक बन्द कर दिये और फिर प्रचेता आई और हम पर बहुत गुस्सा हुई। हम 800 साथिनें थीं। उन्होंने मेला बन्द करने की घोषणा कर दी। पर माँग इतने जोरदार ढंग से की गई थी कि उसे नजर अन्दाज करना कठिन था। राज्य इदारा ने तब 16 अप्रैल 1990 को जयपुर में एक बैठक बुलाई। प्रत्येक जिले से 20 साथिनों के पीछे एक साथिन को बैठक के लिए भेजा गया।

इस बैठक में बंसवारा, अजमेर, कोटा, उदयपुर जोधपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और डूंगरपुर की साथिनें प्रचेता, जिला इदारा, योजना निदेशक, राज्य इदारा, आई. डी. एस., अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय व समाज कल्याण विभाग के सचिव उपस्थित थे। बैठक की कार्यवाही पर प्रकाशित सूचना पत्र के अनुसार साथिनों ने अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण बताये।

— पिछले पांच सालों में रहन-सहन का खर्च बढ़ गया था।
— कई बार एक सप्ताह के लिये भी गांव से बाहर रहना पड़ता है।
— कई बार उन्हें दिहाड़ी के काम से वंचित होना पड़ता है।
— कई बार उन्हें ऐसे काम के लिये मजदूर रखने पड़ते, जो यदि वह गांव के बाहर नहीं जाती तो वे स्वयं कर लेतीं।

## वेतन मजदूरी (दिहाड़ी) बनाम मानदेय

साथिनों की मांग थी कि मानदेय न्यूनतम वेतन के अनुरूप होना चाहिये और कार्यभार के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। इसके उत्तर में वेतन मजदूरी और मानदेय के बीच एक महीन अन्तर बताया गया। और उनकी जो परिभाषा बताई गई (जाहिर है वह वहां मौजूद 'अधिकारियों' ने ही बताई होगी क्योंकि साथिनो के और से ऐसे होने की सम्भावना नजर नहीं आती) वह इस प्रकार है।

"दिहाड़ी मजदूरी में काम दूसरा व्यक्ति तय करता है। जिसमें मालिक व नौकर का रिश्ता होता है। दिहाड़ी की रकम काम करने के घण्टों से सम्बन्धित होता है।

वेतन की धारणा में भी ऐसे बंधन हैं। इसमें भी मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। काम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ही तय होता है क्योंकि इसमें पेसा घंटों के हिसाब से नहीं तय किया जाता। एक बंधी हुई राशि हर महीने मिलती है। इसलिये यह दिहाड़ी से ज्यादा सुरक्षित है। मानदेय काम करने की मजदूरी नहीं है। यहां हम ही तय करते हैं कि हम किस प्रकार का काम करेंगे। किन मुद्दों को उठाना है और किस तरह उठाना है यह भी हम ही करते हैं। काम और समय की पाबंदी नहीं होती। न ही किसी का दबाव होता है। यहां बराबरी का रिश्ता होता है।

इन कारणों से हमें लगता है कि हम दिहाड़ी या वेतन की बात न करके मानदेय की ही बात करें।"

'मानदेय' बढ़ाने की जरुरत को समझते व मानते हुये समाज कल्याण विभाग के सचिव से यह कहलवाया गया कि योजना के माध्यम से मानदेय की रकम बढ़ाना असम्भव है। इसलिए कि योजना का यह आखिरी वर्ष है और सरकारी नौकरशाही की वजह से मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति मिलने में महीनों लग सकते हैं और जब तक मिलेगी भी तो योजना खत्म होने वाली होगी। फिर भी किसी दूसरे तरीके से (यह 'दूसरा' तरीका क्या होगा यह नहीं बताया गया) 50 रू. प्रति माह बढ़ाने की कोशिश की जायेगी ताकि साथिनों को दिहाड़ी के नुकसान का कुछ मुआवजा मिल सके।

यदि वेतन और मानदेय की परिभाषा को मान लिया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि 16 अप्रैल की बैठक का उद्देश्य साथिनों से यह मनवाना था कि 'बराबरी' का संबंध भौतिक स्थितियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह बराबरी का संबंध क्या है और किन के बीच इस सम्बन्ध की बात की जा रही है। **यदि इस तर्क को आगे बढ़ाया जाय तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि म० वि० का० और इदारा के सभी वेतन भोगी कार्यकर्ता** (योजना निदेशक, अधिकारी प्रचेता इत्यादि)

— किसी 'मालिक' (सरकार ?) के अधीन काम कर रहे हैं।
— किसी अन्य के द्वारा (सरकार ?) तय किया गया काम कर रहे हैं।
— कौन से मुद्दे वे उठाना चाहेंगे और किस प्रकार उठायेंगे यह तय करने में असमर्थ हैं।
— दूसरों के दबाव में काम कर रहे हैं।
— सरकारी नौकर हैं।

इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती कि यह परिभाषा म. वि. का. के उच्च अधिकारियों पर लागू की गई थी या नहीं। या ये सवाल साथियों द्वारा उस बैठक में उठाये गये थे। लेकिन इस बैठक के बाद भीलवाड़ा जिले की साथिनों ने वेतन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाते हुये प्रशासन को पत्र लिखा (परिशिष्ट 3 देखें)

## स्पष्ट असमानता

इस संदर्भ में म. वि. का. के उच्च अधिकारियों के वेतनमानों पर नजर डालना आवश्यक हो जाता है। कार्यक्रम के योजना प्रस्ताव (मई 1984) के अनुसार :

| | मासिक वेतन |
|---|---|
| **मुख्यालय** | |
| संयुक्त विकास आयुक्त | |
| (उच्च वेतनमान आई. ए. एस.) | 3,000/- |
| योजना अधिकारी | 2,000/- |
| सहायक लेखा अधिकारी | 1,800/- |
| **राज्य इदारा** | |
| समन्वय अधिकारी | 2,500/- |
| **जिला महिला विकास एजेंसी** | |
| योजना निदेशक | 3,000/- |
| योजना अधिकारी | 2,000/- |
| **जिला इदारा** | |
| समन्वय अधिकारी | 2,000/- |
| विशेषज्ञ | 2,000/- |

इनमें यात्रा, भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता इत्यादि शामिल नहीं हैं।

महिला विकास कार्यक्रम जब शुरु किया गया था तब इन अधिकारियों का वास्तविक वेतन क्या था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। लेकिन उस समय से अब तक वेतनमानों का दो बार संशोधन किया जा चुका है।

11 दिसम्बर, 1989

राजस्थान गजट की अधिसूचना द्वारा।

| | |
|---|---|
| योजना निदेशक | 2750-75-3050-100-3650-125-4400-150-5000 |
| योजना अधिकारी | 2200-50-2300-60-2600-75-3050-100-3650-125-3775 |

5 फरवरी, 1991

महिला एवं शिशु विकास विभाग, राजस्थान के एक परिपत्र द्वारा :

| | |
|---|---|
| योजना निदेशक | 3700-125-4700-150-5000 |
| योजना अधिकारी | 2600-75-2800-100-4000-125-4500 |

इदारा के उच्च अधिकारियों के वेतनमानों के बारे में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। राज्य इदारा के 1991-92 के बजट अनुसार समन्वय अधिकारी को 5125 रुपये बंधा वेतन (वेतनमान : 3700-125-4950-150-5700) और विशेषज्ञ को 4592 रु. (वेतनमान : 2200-75-2800-100-4000) प्रति माह मिलते थे। वेतन का मुद्दा कार्यक्रम के अधिकारियों के लिये एक मुख्य चिंता का विषय था। यह राज्य इदारा की ममता जेटली के 20-2-90 के हस्ताक्षरित पत्र से स्पष्ट होता है। इसमें कार्यकर्ताओं से किये गये सवालों में से एक सवाल है : "कार्यक्रम के विभिन्न कार्यकर्ताओं के वेतन निरधारण की क्या प्रक्रिया होनी चाहिये ? उच्चतम व निम्नतम वेतन के बीच क्या भिन्नता होनी चाहिये ?" अगर वास्तव में ही काम में समानता व स्वतन्त्रता के सिद्धांतों की इच्छा थी तो हैरानी इस बात की होती है कि उच्च अधिकारियों ने इन अप्रत्यक्ष लाभों के बदले नगदी पाने के ठोस लाभ को ही क्यों हासिल करना चाहा।

## काम संबंधी पारंपरिक मूल्य

म.वि.का. का पूरा कार्यक्रम गांव स्तर पर साथिनों व प्रचेताओं पर निभर करता है। इसके बावजूद साथिनों के काम को वेतन देने योग्य काम नहीं समझा जाता। और आकस्मिक खर्चे के लिए मानदेय जेब खर्ची के तौर पर दिया जाता है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि साथिन से क्या अपेक्षा की जाती है। मई 1984 के योजना प्रस्ताव के अनुसार साथिन के मुख्य कर्तव्य इस प्रकार बताये गये :

—प्रचेता के निर्देशन में ग्राम समुदाय और विशेष रुप से गरीब महिलाओं की सलाह से महिला विकास केन्द्र स्थापित करना।

—गांव की महिलाओं के साथ मिलकर काम करना, उनका विश्वास जीतना और जरुरत पड़ने पर उनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना।

—ग्राम्य संस्थाओं का सर्वेक्षण करना, उनको समझना व उनका विश्लेषण करना एवं ग्राम्य जीवन की क्षमताओं व कठिनाईयों को समझना और विशेष रूप से महिलाओं व बच्चों की समस्याओं को समझना।

—महिलाओं और बच्चों की अति आवश्यक और आकस्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाना।

—अपनी अगुआई और प्रचेता की सलाह से म.वि.का. की गतिविधियों की व्यवस्था करना।

—ग्राम पंचायत क्षेत्र की महिलाओं की कामरेड व प्रेरक के रुप में काम करना।

साथिन से जिस प्रकार के कर्तव्यों की अपेक्षा की जाती है उनकी पूर्ती के लिए समय का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त, अप्रत्यक्ष होने की वजह से परिणामों को हमेशा तोला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए—क्या गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा ? उनकी अपनी नजरों में क्या उनकी स्थिति बदली ? क्या परिवार में और गाँव में उनकी स्थिति बदली ? कार्यक्रम ने इन्हीं सब बातों का लाभ उठाया है। विकास अध्ययन संस्थान (आई.डी.एस.) की शारदा जैन ने जैसे 23-4-91 की मीटिंग में हमें कहा, "साथिन और आंगनवाडी कार्यकर्ता की तुलना करना ठीक नहीं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के काम परिभाषित हैं जबकि साथिन के काम परिभाषित नहीं है। यह हमारे लिए कोइ नई बात नही। ऐतिहासिक तौर पर भी क्या औरत के काम को कभी मान्यता मिली ?

पर यह समझ में नही आता कि जिस कार्यक्रम का परम उद्देश्य गरीब व पिछड़ी ग्रामीण महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है वह कैसे अपनी महिला कार्यकर्ताओं के काम की उपेक्षा करके, पूरा वेतन न देकर और उनके काम को मान्यता न देकर शोषित करता है।

## बर्खास्तगी के लिये निश्चित प्रक्रिया

योजना प्रस्ताव और म.वि.का. के प्रलेखों के अनुसार साथिन को चूंकी सरकारी नौकर का दर्जा नहीं मिला तो उसको जरुरत पड़ने पर पद से हटाने के लिए एक अलग विस्तृत प्रक्रिया बनाई गई। अगस्त 1988 में राज्य इदारा द्वारा जारी किए साथिन सूचनापत्र से साथिन को बर्खास्तगी की प्रक्रिया के बारे में कुछ जानकारी मिलती है।

साथिन की बर्खास्तगी का केवल एक ही कारण दिया गया है कि वह काम करने योग्य नहीं। प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी लोगों की सहस्यता से भी अगर उसका काम बेहतर नहीं होता और जब स्थिति को बिल्कुल ही नही उभारा जा सकता तभी साथिन को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सूचनापत्र के अनुसार, "जब गांव की औरतों का साथिन पर से विश्वास उठ जाय और वे महसूस करें कि वह अब काम नहीं कर सकती, सिर्फ तभी साथिन को सेवामुक्त करना चाहिए।"

बर्खास्तगी से पहले जाजम की बैठक में संबंधित साथिन की कार्यशैली पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद अन्य साथिनों व प्रचेताओं को गांव आकर वहां की औरतों से बात करनी चाहिये। उसके बाद केवल प्रचेताओं की बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया जाये। और इस सब के बाद ही साथिन की बर्खास्तगी के लिए आखरी कदम लठाये जायें।

गांव में एक आम सभा बुलाई जाये और बहां आए हर एक का विचार लेना चाहिए। यदि यह सहमति उभरे कि साथिन की कार्यशैली में किसी भी तरह सुधार संभव नही सिर्फ तभी उसे बर्खास्त करना चाहिए।

## साथिनों के लिये वास्तविकता क्या है :

हाल ही में केकड़ी क्षेत्र में बर्खास्त की गई पांच साथिनों के सिलसिले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया।

9 जनवरी को जब साथिनें कालीकट (केरल) से लौटीं तो जिला इदारा, अजमेर की समन्वयकर्ता विजयलक्ष्मी जोशी और अजमेर जिले की तीन प्रचेता—पद्मा, ज्ञान और उच्छन, तीन साथिनों के गांव में पहुंची और वरदीबाई, गीता और जादव को अपने साथ अजमेर के इदारा दफ्तर में ले गईं। सुबह उनको डरा धमका कर और परेशान करके वापिस भेज दिया।

## जलिया II के जाजम में दस साथिनों पर ये आरोप लगाये गये :

— महिला समूह, केकड़ी के झंडे के साथ कालीकट सम्मेलन की रैली में भाग लेना

— अपनी कालीकट की यात्रा के लिए गांव से पैसे इकट्ठे करना। उनसे इस व्यवहार का स्पष्टीकरण भी मांगा गया ! जब साथिनों ने दूसरे झंडे के साथ जाने की अपनी 'गलती' को मान लिया लेकिन जब अपनी यात्रा के लिए गांव वालों से पैसा इकट्ठा करने की बात से इंकार किया तो उन्हे 'फटकारा' गया।

बबेछा जाजम में (फरवरी, 1991) जहां केकड़ी की साथिनें उपस्थित नहीं थी, वहां दूसरी साथिनों (सिलोड़ा, बिनाई और श्रीनगर पंचायत समिति) से एक पर्चे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। उस पर्चे में लिखा था कि जो साथिनें दूसरे झंडे के साथ कालीकट गई थीं उन्हे नौकरी से निकाल देना चाहिए।

— साथिनों के इस 'अनुचित व्यवहार' पर गांव की महिलाओं के साथ बात करने के लिए गांव में कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी।

— साथिनों को इसलिए नहीं बर्खास्त किया गया था कि उनके काम में कमियां पाई गई थीं।

— साथिनों को इसलिए निकाला गया क्योंकि उन्होने ग्रामीण महिलाओं की स्थानीय संस्था-महिला समूह, केकड़ी, जिसकी स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, का प्रतिनिधित्व किया था।

— कालीकट सम्मेलन में महिला समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली नौ साथिनों में से केवल पांच को बर्खास्त किया गया। और किसी भी उच्च अधिकारी ने यह स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की कि केवल उन्हीं पांच महिलाओं को ही क्यों उस 'अपराध' के लिए बर्खास्त किया। बाकी चार को क्यों नहीं।

— उन पांचों के प्रति गांव की औरतों, पुरुष, गाव के अग्रज और नेताओं का पूरा समर्थन होने के बावजूद उनको नौकरी से निकाला गया।

— पंचायत समिति को भेजे गये बर्खास्तगी पत्र में भी उनको सेवामुक्त करने के कारण नहीं बताये गये।

सत्ता अजमेर स्थित मुख्यालय के हाथ में है। या ग्राम स्तर पर गांव की महिलाओं के हाथ में। इस विषय पर, जुलाई 1986 में जिला इदारा, अजमेर द्वारा तैयार किये साथिन सूचना पत्र में चर्चा भी छापी गई।

तिलोनिया की बैठक (16-22 जून) में यह बात साफ उभर कर आई कि साथिनें सरला नायडू (डी. डब्ल्यु. डी. ए. की भूतपूर्व योजना निदेशक) को उस कार्यक्रम की 'जड़' मानती हैं और साथिनों को फूल, पत्तें व टहनियां— इस बात पर खूब चर्चा हुई कि क्या वास्तव में 'जड़' अजमेर में बैठे हम लोगों (इदारा व डी. डी. डब्ल्यु. डी. ए.) के पास है या गांव में बैठी साथिनों के पास— मुझे लगता है कि गांव में शक्ति खोजने की बजाय हम एक बार फिर उसे शहरों और मुख्यालयों से खोज रहे हैं। क्या हम स्वयं को व गाँव की औरतों को कमजोर समझने लग गये हैं? निश्चित ही नही— मान लो कि मैं (विजय लक्ष्मी जोशी) और सरला जी तुम्हें यहां से संदेश भेंजे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो क्या यह सही होगा? क्या करने की जरुरत है और कैसे करना चाहिए, यह तो आपके गांव वाले सब मिलकर ही अच्छी तरह तय कर सकते हैं— मेरा तो विचार है कि यदि यह कार्यक्रम बन्द भी हो जाये और अगर कोई इसके फूल, पत्ते व टहनियां भी काट फेंके तो जड़े मजबुती से मिट्टी में जम जायेंगी और थोड़ी सी बरसात से अंकुर फूट पडेगे। साथिनों को इस दिशा में काम करना चाहिए। उसे गाँव के स्तर पर जड़ों को मजबूत करना चाहिए।

इससे साफ़ जाहिर है कि ऐसा नहीं है। और मौजूदा घटना इस बात को साबित करती है।

दिनांक 15-2-91 के बर्खास्तगी पत्रों द्वारा बर्खास्त की गई साथिनें 26 व 27 फरवरी को अजमेर की जिला कलक्टर सुश्री अदिति मेहता से मिली जिन्होंने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। उसी दिन अजमेर शहर में सरपंचों की बैठक में अदिति मेहता ने संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच से पूछा कि क्या कालीकट जाने के लिए साथिनों ने गांव से पेसा इकट्ठा किया था। सरपंच ने इस बात को नकारा। इसके बाद महिला समूह, केकड़ी से जुड़ी गांव की औरतों ने बीकानेर जिले के 'उरमुल ट्रस्ट' में 15-16 फरबरी, 91 को हुई राजस्थान महिला मंच की बैठक में इस मुद्दे को उठाया। मंच के सदस्यों ने 23-2-91 को एक पत्र विजय लक्ष्मी जोशी को भेजा। संबंधत ग्राम पंचायत के सरपंचों ने व केकड़ी पंचायत समिति के प्रधान ने जिला कलक्टर और डी. डब्ल्यु. डी. ए., अजमेर के योजना निदेशक को पत्र लिखे जिसमें साथिनों के काम में विश्वास प्रकट किया गया था। और उनको वापिस बहाल किये जाने की मांग की गई थी। इस प्रकार स्थानीव स्तर पर, साथिनों को बहाल करने के लिए कई प्रयास किये गये (पृष्ट 4 देखें)। तथ्याशोधक दल ने जब केकड़ी क्षेत्र के तीन गांवों का दौरा किया तो पाया कि बर्खास्त साथिनों को बड़े पैमाने पर भारी समर्थन प्राप्त था। दल को गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नही मिला जिसने महसूस किया हो कि साथिनों ने कुछ गलत किया था या उनकी बर्खास्तगी सही थी। यह केवल उसी गांव के लोगों का मत नहीं था। अजगारा और लोहाखेडा गांव की दो साथिनों (जो कालीकट सम्मेलन में नहीं गई थी और जो उस जाजम में उपस्थित थी जहां उन साथिनों की बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया था) जिनसे यह दल मिला, उनका भी यह मानना था की साथिनों की बर्खास्तगी गलत थी और उन्हें वापिस जाना चाहिये।

बर्खास्तगी का निर्णय कार्यक्रम के अधिकारियों के निर्णय पर आधारित था, बर्खास्तगी के पत्र में बर्खास्त करने

करने के कारण नहीं बताये गये थे, बर्खास्तगी इस आधार पर नहीं की गई थी कि साथिनें गांव में काम करने के लिए सक्षम नहीं रही थी, और सब से महत्वपूर्ण यह कि बर्खास्गी गांव की औरतों के मत पर भी आधारित नहीं थी । इस का अर्थ यह हुआ कि बर्खास्तगी अगस्त 1988 के साथिन सूचना पत्र में दिये गये कार्यक्रम के नियमों/प्रक्रियाओं के बिरुद्व था ।

फरवरो 1991 में 5 साथिनों की बर्खास्तगी अजमेर जिले का अकेला उदाहरण नही है जहाँ साथिन को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया । नीचे साथिनों की और उनकी बर्खास्तगी के कारणों की एक सूची दी हुई है, जिससे वह बात स्पष्ट हो जायेगी । हालांकि बर्खास्तगी के लिए इन कारणों का जिक्र नहीं किया गया है परन्तु यही असली कारण थे । जैसा कि स्वयं साथिनों ने बताया । और उन पर विश्वास न करने को हमारे पास कोई कारण नही है ।

1. सामाजिक अनुमति के बिना अन्य पुरुषों से उलझाव

— तारा देवी, गाव दुसक, पंचायत अराई ।

— कमला, गांव बड़ा खेड़ा, पंचायत जवाजा ।

— पुष्पा, गाँव कोहड़ा, पंचायत केकड़ी ।

2. किसी अन्य संस्था या व्यक्तियों के साथ अंशकालिक काम कर रही थी ।

— रतन कंवर, गांव गणहेड़ा, पंचायत पिसनगण (अन्य आरोप के साथ चाय की दुकान चलाना और दुकान में दो शराब की बोतलें छिपाने के आरोप भी थे) ।

— नौराती, गांव हरमाड़ा, पंचायत सिलोश (आरोप था कि वय एस. डब्ल्यु. आर' सी. द्वारा संगठित महीलाओं की संस्था के साथ जुड़ी हुई थी और उसे बोला गया कि वह म. वि. का. के बजाय उस संस्था का काम कर रही थी) ।

— राम प्यारी, रोहीड़ा गांव, पंचायत जवाजा (आरोप था कि वह गांव की एक नर्स की सहायिका का काम कर रही थी) ।

— रुकमा, गाँव लाडपुरा, पंचायत श्रीनगर (आरोप था कि वह एक स्थानीय स्कूल में अंशकालिक काम कर रही थी) ।

— प्रेम, गांव मेवड़ा, पंचावत केकड़ी (आरोप था कि गांव बड़ा था और उसके बच्चे छोटे थे । जिस वजह से वह काम नहीं कर सकती । इसके अतिरिक्त, वह काम की तलाश में दिल्ली गई थी ।

3. अस्वीकार्य व्यवहार

— गैंदी बाई, गांव बागवरपुरा, पंचायत पिसनगण (आरोप था कि बेटे के जाति पंचायत का पंच बनने की खुशी में उसने गांव बालों को शराब पिलाई)

— इंदिरा, गांव बगलियावास, पंचायत मसूदा (आरोप था कि वह अपनी बहु को तंग करती थी)

4. सही ढंग से काम करने में अस्मर्थ थीं ।

— मंजु, गांव नंदवाना, पंचायत मसूद (घरेलु समस्याओं की वजह से काम नहीं कर पाती थी; उसे त्याग पत्र देने को कहा गया) ।

—इंदिरा, गांव तिहारी, पंचायात श्रीनगर (आरोप था कि सही ढ़ंग से काम नही कर पा रही थी और त्यागपत्र देने के लिये कहा गया)।

5. अन्य कारण

—बावरी देवी जोशी, गांव छोटा लाम्बा, पंचायत अराई (थोड़े अमीर घर की थी और सरपंच की पत्नी थी। उसे अलसर की शिकायत भी थी)।

—चंद्र कांता, गांव बदनवाड़ा, पंचायत बिनाई (वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी)।

—शांति, गांव सदरिया, पंचायत जवाजा (गांव नगरपालिका के अधीन हो गया था)।

ऊपर दिये गये बर्खास्तगी करने या त्यागपत्र देने के लिए इस्तेमाल किये कारणों से लगता है कि म.वि.का. के 'काम' के अलावा कहीं और अंशकालिक काम करना का. को स्वीकार नही था। क्या इसका अर्थ यह नहीं कि साथिन होने का मतलब है केवल म.वि.का. के लिये हीं काम करना ? यदि ऐसा है तो क्या मेहनत के बदले में कम न्यूनतम वेतन की अदायगी नहीं होनी चाहिए ? जाहिर है कि अस्वीकार्य व्यवहार—जैसे सामाजिक स्वीकृति के बिना किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना, को भी बर्खास्तगी का एक कारण बनाया गया। अगस्त 1988 के साथिन सूचनापत्र से ली गई यह पंक्तियां—

"गांव के सत्ता संपन्न लोग उसे एक बुरी' (गिरी हुई) औरत मान सकते हैं। वो उसे घरों को तौड़ने वाली या गांव की ओरतों को 'बिगाड़ने' वाली समझ सकते हैं।"

इससे लगता है कि साथिन के साथ सहयोग न करने के लिए इस कारण का ईस्तेमाल केवल गांव के सत्ता संपन्न लोग ही नहीं करते बल्कि म.वि.का. के अधिकारियों का भी वही रबैया है। यदि औरत अपनी इच्छा से किसी पुरुष से समाज की स्वीकृति के बगैर रिश्ता बनाती है तो समाज उसे अस्वीकार्य मानता है और चूंकि समाज ऐसी औरत को स्वीकार नहीं करता तो कार्यक्रम के अधिकारी भी उसे कार्यक्रम के अिए अस्वीकार्य मानते हैं।

इस बात का पता लगाने के लिए कि अगस्त 1988 के साथिन सूचना पत्र में दी गई बर्खास्तगी की प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं, दल उन पांच साथिनों से नहीं मिल सका। दल तिहारी गांव की इन्दिरा से 24-4-91 को अजमेर में मिला। उसने बताया कि उसने साढ़े चार साल तक कार्यक्रम में काम किया था। पिछले साल बीमारी की वजह से वह दो बैठकों में भाग नहीं ले पाई थी। हालांकि उसने मेडिकल सरटीफीकेट भी दे दिया था फिर भी उसे कार्यक्रम छोड़ देने के लिये कहा गया था। पंचायत समिति की प्रचेता जयंती बाई ने उसे यह लिख कर देने के लिये कहा कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से वह (इन्दिरा) कार्यक्रम छोड़ना चाहती है। और उसे नहीं मालूम कि जिस पत्र पर उसने अपना अंगूठा लगाया था उसमें क्या लिखा हुआ था। तिलोनिया के एस. डब्ल्यु. आर. सी. के फील्ड वर्कर (क्षेत्र कार्यकर्ता) से भी उसने बात की। औरतों का विचार जानने के लिये गांव में कोई बैठक भी नहीं बुलाई गई थी। केकड़ी पंचायत समिति के कोंडा गाँव की पुष्पा, दल से 20-4-91 को नयागांव में मिली। उसे किसी आदमी के साथ सम्बन्ध होने की वजह से हटाया गया था। हालांकि निर्णय साथिनों की जाजम में लिया गया था। गांव में लेकिन कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। कार्यक्रम को हालांकि उसका 'व्यवहार' अस्वीकार्य था, उसे गांव के लोगों, सरपंच और वार्ड पंच सभी का समर्थन मिला। इन लोगों ने गांव में किसी अन्य साथिन को लेने से इन्कार कर दिया। और जब से पुष्पा बर्खास्त की गई हैं तबसे अब तक ग्राम पंचायत में कोई साथिन नहीं है।

**क्या पतासों, गीता, झूमा, नौसर, नन्द और किरण ने स्थानीय महिला समूह, केकड़ी के बैनर के साथ कालीकट सम्मेलन में भागीदारी लेकर गलती की ?**

शुरु करने से पहले एक बार फिर बता दें कि म. वि. का. इदारा और आई. डी. एस. के अधिकारियों ने उन पांच सांथिनों को बर्खास्त करने का कारण बताने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह उनका और महिला समूह का अंदरुनी मामला हैं। जो इन दोनों संगठनों के बीच 'लड़ाई की स्थिति को प्रतिबिंबत करता है (जिला इदारा, अजमेर के दफ्तर में 20-4-91 को बैठक)। और यह कि यह द्वंद पिछले चार सालों से चल है (आई. डी. एस. जयपुर में 23-4-91 की बैठक)। इसलिये हमें एक बार फिर म. वि. का. के दस्तावेज पर गौर करना होगा। पीली किताब के नाम से मशहूर कार्यक्रम के योजना प्रस्ताव के पृष्ठ 20 पर लिखा है कि महिला विकास कार्यक्रमों की एक प्राथमिकता इस प्रकार होनी चाहिए :

> "महिलाओं के लिए उपयुक्त संगठन बनाने पर जोर देना चाहिए जहां वे अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकती हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकती हैं और संगठित संघर्ष चला सकती है।"

उसी दस्तावेज के पृष्ठ 5 व 7 पर लिखा है—

"प्रचेता की सलाह से साथिन 6-7 औरतों की एक छोटी कमेटी (केन्द्र समिति) बनायेगी, जो महिला विकास केन्द्र की गतिविधियों का निर्देशन करेगी.....केंद्र समिति आवश्यकतानुसार अनौपचारिक रुप से अवसर मिलती रहेंगी। जब भी प्रचेता महिला विकास केन्द्र का दौरा करेगी तो वह केन्द्र समिति के सदस्यों के साथ ब्योरेवार सलाह मशविरा करेगी। .....महिला मण्डल (म. म.) पत्र वत किसी तय समय पर नहीं बनाये जायेंगे परन्तु ज्यों-ज्यों महिलाओं को म. म. का कार्यभार सम्भालने की जिम्मेवारी सौंपी जायेगी। और यह काम बिना वेतन के करना होगा।

इस तरह साथिन का एक मुख्य काम प्रचेता की सहायता के साथ 'महिला मण्डल' बनाने का था। यह मण्डल उनकी ग्राम पंचायत के गांवों में बनाने थे। इस तरह के संगठनों के बनने से जो द्वंद उभर सकते है उन पर ध्यान देते हुए राज्य इदारा की ममता जेटली ने म. वि. का. इदारा के अन्य लोगों की राय जानने की कोशिश की। म. वि. का. पर पुनर्विचार और बदलाव के सुझाव विषय पर 20-2-90 को एक पत्र में उन्होंने लिखा—

— आपके गांव में अगर महिलाओं ने कोई स्थानीय संगठन बनाया है तो कौन सी औरतें हैं जो उसमें रुचि लेती हैं। क्या यह संगठन स्वतन्त्र रूप से काम कर पाता है ? यदि हां तो ऐसे संगठनों और म. वि. का. के बीच कैसा सम्बन्ध बन सकता है ?

— क्या गांव में एक स्वायत्त महिला समूह का गठन होना चाहिए ? यदि हां तो उसे किस तरह से काम करना चाहिये ?

कह सकते हैं कि इससे 3 बातों को मान्यता मिली—गांव के स्तर पर स्वतन्त्र महिला समूहों का उभरना, कार्यक्रम के अन्तर्विरोध जिनकी वजह से ऐसे समूहों को उभरने की जगह मिली और अन्तः कार्यक्रम व इन समूहों के बीच द्वंद की पूरी संभावना। केकड़ी महिला समूह का उदाहरण इन तीन बातों को दर्शाता है।
(परिशिष्ट 5 देखें)

कालीकट सम्मेलन में भाग लेकर केकड़ी पंचायत समिति की साथिनें व प्रचेता तो वही कर रही थीं जो उन्हें सिखाया जाता है कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। और वे कार्यक्रम की एक कथित प्राथमिकता को साकार बना रही थीं। केकड़ी से जो समूह गया था उसमें 9 साथिन थीं, एक प्रचेता व गांव की अन्य 7 औरतें। सच तो यह है कि संगठित समूह से इन औरतों का आत्म-विश्वास बढ़ा और स्थानीय समूह की हैसियत से पहचाने जाने पर इन्होंने

काफी गर्व महसूस किया। इससे पता चलता है कि केकड़ी पंचायत समिति में कार्यक्रम की प्राथमिकता को किस बखूबी से साकार किया जा रहा है। बजाय इस उपलब्धि को सफलता का चिन्ह मानने के घटना को इतना विकृत कर दिया गया है कि अब वह साथिनों की निष्ठा का प्रश्न बन कर रह गई है।

इससे यह बात साफ हो जाती है कि साथिनें म. वि. का. की कार्यकर्त्ता हैं इसलिए उनकी वफादारी भी उसी के साथ होनी चाहिए न कि गांव की औरतों के साथ। म. वि. का. से अलग अपने को संगठित करने का कोई भी प्रयास औरतों की एकता को तोड़ने का प्रयास मानकर बर्खास्तगी के लायक बना दिया जाता है। जिससे भी हम मिले उसने ही जोर देकर कहा कि म. वि. का. एक सरकारी कार्यक्रम है। इसका मतलब है कि जिस क्षेत्र में सरकार म. वि. का. चलाती है वहां पर औरतें अपनी एकता और परस्पर समर्थन सरकार के कार्यक्रम के ढांचे के अन्दर ही व्यक्त कर सकती है। विभिन्न दस्तावेजों में भले ही बड़ी-बड़ी बातें क्यों न लिखी हों।

## निष्कर्ष

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम की समीक्षा खत्म करते हुए दो स्तरों पर प्रश्न उठाये गये हैं। एक तो कार्यक्रम में काम करने वालों की सेवा शर्तों से संबंधित है और दूसरा सरकार के साथ मिल कर काम करते वक्त उभरने वाले अंतरविरोधों से संबंधित हैं।

### महिला विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तें :

विभिन्न भेंटवार्ताओं और प्राप्त प्रलेखों द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई उससे बिना संदेह यह परिणाम निकाला जा सकता है कि 6 साथिनों की बर्खास्तगी म.वि.का. में व्याप्त श्रम संबंधी अनुचित तरीको पर रोशनी डालता है। और फिर यह बर्खास्तगी तो एक छोटी सी झलक है, जो कार्यक्रम के निम्न व मध्यम स्तर के कार्यकर्ताओं की अनुचित सेवा शर्तों के बारे में बताती है। और स्थिति को स्वीकार करना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब यह एक ऐसे कार्यक्रम के तहत हो जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने के लिए औरतों को सबल बनाने की बात करता है।

हाल ही में हुई साथिनों और प्रचेता की बर्खास्तगी की घटना ऐसी कई घटनाओं में से एक है जिसमें मनमाने और अनुचित ढंग से कार्यक्रम की सेवा से लोगों को हटाया गया। परन्तु इन छः लोगों की बर्खास्तगी पर ही सामूहिक रुप से विरोध किया गया।

यह भी बात साफ हो जाती है कि म.वि.का. एक सरकारी संगठन है और उसे वैसा ही समझना चाहिए। इसीलिए उसके सभी कार्यकर्ताओं को कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना चाहिए। और उनसे कानून द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार ही काम लेना चाहिये। और नियुक्ति व बर्खास्तगी स्थापित कानूनी तरीकों के अनुसार ही करनी चाहिए। शोषणकारी शर्तों और जीवन यापन से नीचे स्तर का वेतन देते हुए कार्यकर्ताओं को 'स्वयंसेवी' कहकर लीपापोती करने की कोशिश का विरोध होना चाहिए। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि म.वि.का. आने वाले समय में अपने ढ़ांचे को बदलने का प्रयास कर रहा है। उस नये ढ़ांचे में (कुछ) साथिनों का दर्जा बढ़ाकर 'ट्रेनर' का बना दिया जायेगा और गांव से लोगों की भर्ती बिना वेतन के 'स्वयंसेवी' के तोर पर की जायेगी। अन्य राज्यों में नये कार्यक्रम शुरु करते वक़्त हो सकता है इस ढ़ांचे को लागू किता जाये।

औरतों के काम को 'काम न समझनें' की धारणा से हम परिचित ही हैं। और उसकी मान्यता के लिए हमने संघर्ष भी किया है। म,वि.का द्वारा औरतों के काम के अवमूल्यन के विरुद्ध भी संघर्ष शुरु करना होगा ताकि सबसे निम्न स्तर की महिला कार्यकर्ताओं को, जिनकी मेहनत के विना यह कार्यक्रम बंद हो चुका होता, न्याय मिल सके।

### सरकार के साथ मिलकर काम करने से उभरते अंतरविरोध :

म.वि.का. का मुख्य सिद्धांत है 'ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना जिनमें (ग्रामीण) औरतें विकास प्रक्रिया में स्वयं को सक्रिय भागीदार के रुप में देख सकें।'' इस बात की महत्ता इस विश्वास में निहित है कि प्रत्येक शिक्षित/अशिक्षित, ग्रामीण/शहरी, स्त्री/पुरूष के लिए सरकार द्वारा नियोजित विकास कार्यक्रमों में स्वयं को प्रभावशाली और रचनात्मक सहयोगी के रुप में देखना संभव है। इसके पीछे यह मान्यता है कि लोगों व सरकार, दोनों के लिए विकास के मायने समान हैं।

पिछले कुछ सालों से सरकार अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विभिन्न आंदोलनों की प्रगतिशील शब्दावली, मुहावरों और प्रतीकों का इस्तेमाल करती आ रही है। यह सब इस विचार से किया जा रहा

है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाये जिसमें लोग सरकारी योजनाओं को और सरकार की विकास की परिभाषा को स्वीकार करने लगें। म.वि.का. एक ऐसा ही प्रयास है।

म.वि.का. द्वारा चलाए गये तीन अभियान इस बात का संकेत देते हैं कि न केवल सरकार की परन्तु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे, यूनिसेफ्—जो म.वि.का. के लिए पैसा भी दे रही है, कि विकास संबंधी चिंताये उन लोगों से बिल्कुल भिन्न है जो इनसे प्रभावित होते हैं। ये तीन अभियान...(1) प्रौढ़ शिक्षा (जिसमें प्रौढ़ औरतों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है). (2) बाल-विबाह के विरुद्ध अभियान, और (3) परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्पष्ट तौर से दर्शाते हैं कि कार्यक्रम का मुख्य जोर अब जनसंख्या नियंत्रण पर ही है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का मुख्य काम तृतीय विश्व के देशों में जनसंख्या नियंत्रण है। अभी तक सरकर अपनी जनसंख्या संबंधी नीतियों को लागू करने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है। जन समुदाय का सहयोग पाकर नवीन कार्यक्रमों—जैसे, म.वि.का., को नये माध्यमों के रुप में देखा जा रहा है।

जब तक औरतों का विरोध और असंतोष स्थानीय स्तर तक है और स्थानीय निहित स्वार्थो को चुनौती देने तक सीमित है, तब तक सरकारी नौकरशाही का रवैया सहयोगपूर्ण रहता है। औरतें कुछ जागरुक और आत्म-विश्वासी बनेंगी तभी वह सामंतवादी और पितृसत्तात्मक ढ़ाचों के कुछ नियंत्रणों की सीमा पार सकेंगी। और सरकारी परिवार नियोजन व अन्य ऐसे 'तर्कपूर्ण' कार्यक्रमों की स्वीकृति के लिए ऐसा होना जरुरी समझा जाता है। लेकिन औरतें अपने जीवन के हर पहलु-यौनिकता और जननशक्ति समेत, को अपने नियंत्रण में रखें इसको कार्यक्रम कभी सहन नहीं कर सकता और न करना चाहेगा।

अजमेर का अनुभव यह दर्शाता है कि म.वि.का. ने सरकारी लक्ष्यों और परिपेक्ष्य को गांवों और परिवार तक ले जाने में सरकार के एक उपकरण के रुप में काम किया है। म.वि.का. आम लोगों के सरकार के प्रति आंतरिक अविश्वास को कम करने में सफल हुआ है। और जिन क्षेत्रों में सरकार पहले असफल रही थी, सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने में सफल हुआ है। इस सफलता का एक कारण यह भी हो सकता है कि सरकारी कार्यक्रमों का असली अभिप्राय प्रगतिशील शब्दावली में छुपे रहते हैं।

इस बात की संभावना को देखते हुये कि म.वि.का. की रुपरेखा पर आधारित स्कीमें देश भर में महिला विकास के लिये अपनाई जा सकती है तो यह जरुरी हो जाता है कि चिंता के क्षेत्रों को पहचान लिया जाये। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य बर्खास्तगी की घटना से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर बहस छेड़ना तो है ही, लेकिन साथ ही इन कार्यक्रमों से उठने वाले मुद्दों को समझने का प्रयास भी है।

# बहस के लिए व्यापक मुद्दे

## (अ) राज्य का स्वरूप और महिला विकास में उसकी भूमिका :

कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि वह महिलाओं सहित पूरी जनसंख्या के लिए विकास के साधन उपलब्ध कराये। लेकिन जनसंख्या के अन्य वर्गों के लिये उपलब्ध विकास योजनाओं की तुलना में महिलाओं के संबंध में सरकार का जोर नीतियों साधनों के बंटवारे और विकास को पुर्नभाषित करने की बजाय चेतना जागृति, और संगठन पर होता है। अर्थात विकास की बजाय संघर्ष पर जोर दिया जाता है। इसके फलस्वरुप एक अत्यन्त बेतुकी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां संघर्ष अब सत्ता के विरुद्ध नहीं रह गया है बल्कि राज्य के सहयोग से विरोध किया जा रहा है लेकिन लक्ष्य पता नहीं क्या है ?

1. सरकार महिला विकास को जागृति और संगठन के रुप में क्यों देख रही है ? दूसरे शोषित वर्गों के संबंध में उसके कार्यक्रम इस तरह का दृष्टिकोण क्यों नहीं रखते ?

2. क्या कारण है कि सरकार भी सभी प्रकार के राजनैतिक दलों की तरह ही औरतों को वोट बैंक के रुप में इस्तेमाल करने का प्रयास करती है ?

3. क्या यह जरुरी नहीं कि सरकार की औरतों के प्रति, भूमिका को आलोचनात्मक तरीके से समझा जाय। क्या औरतों की वर्तमान स्थिति स्वतंत्रता के बाद से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों का परिणाम नहीं है ? क्या म.वि.का., महिला समस्या इत्यादि वास्तव में ऐसे शोधक कदम हैं जो कि सरकार के लिए केवल प्रचार मूल्य का काम ही नहीं करते हैं बल्कि इनका फायदा वास्तविक लक्ष्य तक भी पहुंचता है।

4. क्या सरकार वास्तव में औरतों के 'संघर्ष' में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि औरतों की समस्यायें परिवार तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये समाज और उस में हो रहे कुविकास से भी उतनी ही उत्पन्न होती है ?

5. जब संघर्ष के लिए संगठन स्थानीय और विखण्डित हो तो क्या सरकारी नीतियों की वजह से इस के दबने की सम्भावना नही बन जाती ? उदाहरणतया, क्या ऊपर से लागू किये गये सरकारी कार्यक्रम, जैसे, परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनता की जरुरतों और इच्छाओं के ऊपर अधिक महत्व नहीं प्राप्त करेंगे ?

6. क्या औरतों की संगठनात्मक क्षमता को अपने अधिकार में ले लेने से सरकार भविष्य में, औरतों के संगठित होने की संभावना को समाप्त नहीं कर रही है ? ये जानते हुए कि महिलाओं में राजनैतिक जागरुकता आ जाने से वे ऐसे अनेक सवाल उठायेंगी जिनके जवाब सरकार किसी भी हाल में नहीं दे पायेगी। तो क्या सरकार उनकी राजनैतिक चेतना को दबाने का काम नहीं करेंगी ?

7. संक्षेप में क्या ये कार्यक्रम व्यवस्था मालिक समर्थक मजदूर संघ से मिलते जुलते नहीं हैं ?

8. क्या विकास के कोई ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो औरतों के लिए अधिक महत्व के हों और जहां सरकार केवल सुविधा प्रदान करें ? और आयोजन का काम न करें। उदाहरण के लिए कानूनी सहायता, स्पोर्ट सेवाओं इत्यादि के क्षेत्र में।

## (ब) नारी आन्दोलन और सरकार प्रवर्तित महिला विकास :

सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के योगदान का एक लम्बा इतिहास है परंतु इन कार्यक्रमों में महिला सक्रिय कर्मियों की भागीदारी अभी हाल ही में शुरू हुई है हालांकि महिला सक्रियकर्मी इस संभावना के साथ इन कार्यक्रमों की तरफ खिचे थे कि इनके माध्यम से उनकी पहुंच आम औरत तक बढ़ जाएगी, लेकिन एक परिणाम यह भी हुआ कि इन कार्यक्रमों को वैधता प्राप्त हुई है जिनकी इन्हें अत्यधिक जरूरत थी। इन सीधे गठबंधनों के दूरगामी परिणाम हुए हैं।

1. क्या राज्य ने बहुत सोच समझकर प्रगतिवादी प्रतीकों और शब्दावली का इस्तेमाल किया है ताकि आम जनता और राज्य के हितों के बीच का विरोधाभास धुंधला हो जाय ?

2. क्या इन कार्यक्रमों से जुड़े हुये लोग यह सोचते हैं कि वे इन कार्यक्रमों पर अपना प्रभाव डालकर अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे इसका असर सरकारी कार्यक्रमों को वैधता प्रदान करना हो जाता है ?

3. क्या कार्यक्रमों का इस प्रकार से इस्तेमाल दोनों तरह से काम नहीं करता ? इस बात की क्या सम्भावनायें हैं कि इन कार्यक्रमों को चलाने की प्रक्रिया में सक्रियकर्मियों को कुछ समझौते नही करने पड़ सकते ? उदाहरण के लिए, म. वि. का. के स्वास्थ्य प्रोजेक्ट में लैंगिकता और जननक्षमता के सवालों को अलग अलग देखा गया है और केवल जननक्षमता के सवाल पर ही बात करने को तैयार रहते हैं जो कि दोनों प्रश्नों को जोड़ने के नारीवाद प्रयास से बिल्कुल उलटा है।

4. क्या यह शासक वर्गों के हित में नही है कि वर्ग के प्रश्न को लिंग/औरत के प्रश्न में दबा दिया जाय और समाज के मुख्य ढांचागत विरोधाभासो से मुंह मोड़ लिया जाय ? क्या सरकारी कार्यक्रमों में लगे सक्रियकर्मियों के द्वारा अनचाहे तरीके से इस प्रक्रिया को और बढ़ावा नहीं मिल रहा ?

## (स) बहुराष्ट्रों द्वारा समर्थित महिला विकास :

महिला दशक के बाद से, महिला विकास के लिए बड़े पैमाने पर पैसा आया है परन्तु यह पैसा उन स्रोतों से आया है जिनका अपना चरित्र जनता समर्थक या नारी समर्थक नहीं रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस पैसे का इस्तेमाल सक्रियकर्मियों, स्वेच्छिक संस्थाओं और सरकारी कार्यक्रमों के खर्चे के लिए भी किया गया है। इसके लिए सबसे सुविधाजनक तर्क यह दिया गया है कि पश्चिम में नारी आंदोलन के विकास की वजह से ये पैसा दिया जा रहा है। दस साल पहले तक यह बात सही हो सकती थी परंतु यह वर्तमान में दिए जा रहे पैसे पर लागू नहीं होती।

आंदोलन के अन्दर भी इस प्रश्न पर उन लोगों के बीच जो पैसा लेते हैं और जो नहीं लेते हैं इस मुद्दे पर जोरदार बहस होती रही है। फिर भी कुछ मुद्दों को समझना जरूरी है।

1. पैसा देने वाली एजेन्सियां अन्तहीन तरीके से महिला कार्यक्रमों को मदद क्यूं दे रही है ?

2. ऐसा क्यूं है कि सापेक्ष विकास के बजाय नारी-जागरण और सगठन इत्यादि पर अधिक जोर दिया जा रहा है ?

3. प्रथम विश्व और तृतीय विश्व के नारीवादियों के बीच में क्या सम्बन्ध है ? क्या मुद्दों और प्राथमिकताओं को प्रभावित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। पैसे की सहायता देने वाली एजेंसियों की नजर में— सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में महिला विकास जनसंख्या नियन्त्रण से कैसे संबंधित है ?

**(द) गैर सरकारी संगठनों के ढांचे और कार्यप्रणाली के प्रभाव :**

केवल मुद्दों के सन्दर्भ में ही सरकार ने नारी आंदोलन की शब्दावली का प्रयोग किया हो ऐसा नहीं है। उसने एक ऐसे संगठनात्मक ढांचे का निर्माण किया है जहां गैर सरकारी संगठनों के ढांचे की कमजोरियां नौकर-शाही की शक्ति बन गई है। मालिक और नौकर के बीच का फर्क समाप्त कर देनेसे अधिक लोकतांत्रिक ढांचों का निर्माण नही हुआ है, बल्कि सारी शक्तियाँ उच्च स्तर के अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित हो गई है जो कि मनमाने और अनुचित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वेतन के ढाँचे भी उसी प्रकार से शोषणात्मक है जैसे कि बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों में पाए जाते हैं। जो कि सरकारी या अन्तर्राष्ट्रीय पैसा प्राप्त करते हैं। कार्यकर्ताओं को क्योंकि वोलन्टीयर माना जाता है उन्हें मजदूर संगठन बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसके फलस्वरूप इन कार्यक्रमों से जुड़ने का मतलब अनुचित श्रम नीतियों को समर्थन देना है और वह भी इस तर्क पर कि कम से कम गरीबी की स्थिति को बेहतर किया जा रहा है। यह कहां तक तर्कसंगत है ?

**(इ) नारी आन्दोलन के सामने प्रश्न :**

सरकार के साथ सहयोग करके नारी आंदोलन को आगे बढ़ाना कुछ संगठनों और सक्रिय कर्मियों के लिए एक स्पष्ट विकल्प रहा है। हालांकि कोई भी आंदोलन अलगाव में नहीं पनप सकता लेकिन कोई आंदोलन बिना स्पष्ट विचारधारा के भी नहीं पनप सकता। अभी यह आंदोलन उदीयमान स्थिति में है और इसे कई प्रकार के कृत्रिम विरोधों का सामना करना है। स्पष्ट तौर पर हम दमन का सामना नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें सहयोजन (को-आपशन) का डर है। नारी आंदोलन अव्यवस्थित भी है और 'सर्वव्यापक बहनायें' के नाम पर औरतों में व्याप्त कई प्रकार के भेदों को नजर अन्दाज कर देता है। हम अभी तक आंदोलन के अन्दर कई प्रकार के संगठनों और व्यक्तियों से गठबंधन कर रहे हैं केवल इस तर्क पर कि औरत होने के नाते यह जरूरी है। यह माना जा सकता है कि शुरूआत में यह जरूरी था लेकिन अब हमारी एक अपनी छवि और वैधता है जिसने कि भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रतिक्रियावादी ताकतों को भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए उकसा दिया है।

1. क्या अभी वो समय नहीं है कि स्थिति का जायजा लिया जाय और एक स्पष्ट नीति विकसित की जाय।
2. आंदोलन कम से कम समय में अधिक से अधिक औरतों तक पहुंचने की जिम्मेदारी क्यों ले ? क्या इसके साथ ही यह चुनाव करना उतना ही आवश्यक नहीं है कि किसके साथ सहयोग किया जाय और किन कार्य-क्रमों के साथ।
3. आंदोलन ने औरतों के सम्बन्ध में सरकार और उसके उद्देश्यों पर प्रश्न क्यों नहीं उठाए हैं ? नारी आंदोलन के इस रवैए को हमें उनके स्थापित वामपंथियों के प्रति आलोचनात्मक रवैए के संदर्भ में देखना चाहिए।

रिपोर्ट में उठाए गए प्रश्न उन सभी लोगों के लिए महत्व के हैं जो स्वायत्त संस्थानों, जन संगठनों और गैर सरकारी संगठनों में काम कर रहे हैं। ये सवाल एक ऐसे संदर्भ में भी है जहां सरकार स्थिरता का प्रलोभन दे रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम तक पहुंच रही है क्योंकि वह जानती है कि आम जनता में उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। व्यक्ति और संगठनात्मक तौर पर यदि हम वंचित लोगों के लिए चिंतित है तो हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लेने से पहले हम इन प्रश्नों पर बहस कर लें।

यह भी उतना ही जरूरी है कि हम सरकार के कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों के समर्थन/विरोध में सामान्य बहस भी शुरू करें। इस रिपोर्ट के संदर्भ में इन सवालों पर बहस एक शुरूआत होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

# परिशिष्ट–I

निम्नलिखित महिला संगठन तथ्याशोधक दल के सदस्य थे ।

सहेली, दिल्ली

सबला संघ, दिल्ली

एक्शन इण्डिया, दिल्ली

नारी केन्द्र, बम्बई

फोरम अगेन्स्ट ओप्रेशन आफ बूमेन् बम्बई

आवाज-ए-निस्वान, बम्बई

दिशा, दिल्ली, जिसका काम विद्यार्थियों के साथ है ।

चार दिन के प्रवास के दौरान दल निम्नलिखित व्यक्तियों से मिला :

20-4-91 (दोपहर) जिला आफिस, इदारा, अजमेर में विजयलक्ष्मी जोशी (विशेषज्ञ, इदारा) से मिले, कविता और दिप्ता (आई. डी. एस.) प्रीतम, रेनू जयपाल (पी. डी., डी. डब्ल्यू. डी. ए., अजमेर) शैली, अरुणा, पदमा, अन्नपूर्णा, जयन्ती और कृष्णा (प्रचेता, अजमेर)

20-21-4-91 नयागाँव, अमली और केकरी पंचायत समिति में शामिल देवलिया खुर्द का दौरा किया और झूमा, नन्दू, गीता, पतासी और पुष्पा साथिनों, गांव के सरपंच, नेताओं, अध्यापकों ANMs महिला समूह केकरो के सदस्यों और गांव की कई स्त्रियों और पुरुषों से मिले ।

21-4-91 केकरी नगरपालिका में बैठक । सीतापबाई, गीता, नत्थी, पतासी, बरदी, झूमा, नन्दू, पुष्पा, प्रेम और गिलोल से मिले ।

21-4-91 अजगारा गांव में अराई पंचायत समिति गए । साथिन कमला से मिले लोहरवाड़ा गांव में श्री नगर पंचायत समिति गए । यशोदाबाई से मिले ।

21-4-91 महिला समूह, अजमेर के साथ बैठक । टेरेसा, सन्तोष, राजकुमारी, रेशमा, किरण, भौरी, इन्दिरा, दीपा, आशा, आरती, मल्लिका, गायत्री, तमजीत, छग्गी, अलवीणा, गीता, हरदेवी, गौरादेवी और तारा से मिले ।

22-4-91 (एस. डब्ल्यू. आर. सी.), तिलोनिया में अरुणा राय से मिले ।

22-4-91 अजमेर में डिप्टी कलक्टर के दफ्तर में कलक्टर अदिति मेहता से मिले ।

23-4-91 विकास अध्ययन संस्थान (आई. डी. एस.) जयपुर में श्रीमति शारदा जैन, कविता, कंचन, शोभिता, जया, ममता, जेतली, (विशाखा) और प्रीतमा से मिले ।

# परिशिष्ट-2

## परिवार नियोजन सम्बन्धित अत्याचारों की विशिष्ट जानकारी

1. ऐसे व्यक्ति जिनका एक से अधिकबार नसबंदी की गई

- मेवदार्खुद (केकरी पंचायत समिति)
  - — विद्याधर ब्राह्मिन (तीन बार आपरेशन)
  - — शिव नाारयण जाट (दो बार आपरेशन)
  - — मंगली लाल मीना (दो बार आपरेशन)
- कुशयाला (केकरी पंचायत समिति)
  - — बरदू बागरिया (दो बार आपरेशन)
- तिहारी (श्री नगर पंचायत समिति)
  - — पंची रेगर (दो बार आपरेशन)
  - — बदन जाट (तीन बार आपरेशन)
- डाबला (पिसनगन पंचायत समिति)
  - —रामेश्वर जाट (चार बार आपरेशन)

2. नसबन्दी से इन्कार करने के कारण जिन व्यक्तियों का हाजिरी की सूची से नाम निकाल दिया गया।

- डेविया (केकरी पचायत समिति)
  - — सुन्दरबाई
  - — हीरा
  - — सोहनी
- गोवलिया
  - — शान्ति
- लासानी (जायजा पंचायत समिति)
  - — चम्पुलाल बाम्बी

3. अकाल राहत कार्य प्राप्त करने लिए जिन व्यक्तियों को नसबन्दी के लिए मजबूर किया गया।

- आमली (केकरी पंचायत समिति)
  - — मूली, आयु 60 बर्ष
- गोविला
  - — मूलावाद, आयु 60 वर्ष

यह परिवार नियोजन कार्यक्रम के दौरान किए केवल कुछ अत्याचारों की सूची है। अधिक विस्तृत जानकारी दस्तावेज के रूप में महिला समूह अजमेर के पास उपलब्ध है।

# परिशिष्ट-3

सेवा में,

श्रीमान सचिव महोदय साहिब

विषय : मानदेय बढ़ाने बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पदमपुरा मेले में 9 जिलों की साथिनों ने मानदेय बढ़ाने की आवाज उठाई थी जिसे पसन्द नहीं किया गया था। और उस आवाज को दबाने के विचार से 16-4-90 को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें साथिनों ने कई सवाल उठाये थे परन्तु उन्हें जवाब बहुत कम मिले थे। सचिव महोदय ने कहा था कि मानदेय तो नहीं बढ़ाया जा सकता पर हमें किसी न किसी रुप में प्रति माह 50 रुपये और दिया जायेगा। परन्तु आज तक ये पैसा हमें नहीं मिला। जब इस मुद्दे को अपने जिले में हमने फिर उठाया तो गुरजीत कौर रशमी ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें साल भर की पूरी रकम एक साथ मिल जायेगी। अभी तक इस बारे में हमें और जानकारी नहीं मिली। हम महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही हैं परन्तु हमारा विनाश हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें। गांव में जब हम 'काम पूरा दाम पूरा' की अवाज उठाती है तो गांव वाले कहते हैं, "आप दूसरों के विकास के लिए क्या काम करोगी जब आप स्वयं ही शोषित हो रही हैं। आज हम बालिका दशक मना रहे हैं। क्या अब साथिन दशक मनाने की जरुरत है ?" यह मांग 9 जिलों से हम साथिनों की और से है। सरकारी कर्मचारियों के भी महंगाई भत्ते प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बावजूद हम बहने 7 वर्षों से 200 रुपये माहवार पर ही काम कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी आशाओं को बनाये रखेंगे।

हस्ताक्षरित : भीलवाड़ा जिले की साथिनें

# परिशिष्ट-4

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 15-2-1991 | पांच साथिनों एवं एक प्रचेता को बर्खास्तगी के आदेश |
| 2. | 15-2-1991 | केकरी महिला समूह की हीराबाई के द्वारा राजस्थान महिला मण्डल की बैठक में इस मुद्दे का उठाया जाना |
| 3. | 23-2-1991 | साथिनों को अपनी बहाली के लिए जिला कलक्टर को पत्र |
| 4. | 23-2-1991 | महिला समुह. अजमेर द्वारा कलक्टर को पत्र |
| 5. | 26-27-2-1991 | साथिनों की कलक्टर के साथ मीटिंग |
| 6. | 8-3-1991 | केकरी महिला समूह की औरतों और साथिनों और महिला ममूह, अजमेर द्वारा दूसरे महिला संगठनों को पत्र |
| 7. | 3-4-1991 | सरपंच, विक्रम सिंह, गांव देवलिया खुर्द, ग्राम पंचायत खारुन्ज द्वारा साथिनों की बहाली की म. वि. का. को पत्र |
| 8. | 4-4-1991 | मोलकिया ग्राम पंचायत के सरपंच का पत्र |
| 9. | 4-4-1991 | केकरी पंचायत समिति के प्रधान, भूपेन्द्र सिंह शेखावत का पत्र |
| 10. | 5-4-1991 | ग्राम पंचायत, खालेदा के सरपंच अम्बालाल मीना, गांव की औरतों और नयागांव के ए. एन. एम. का पत्र |
| 11. | 6-4-1991 | केकरी पंचायत समिति, अमली के सरपंच गयाराम गुण का पत्र |
| 12. | 8-4-1991 | साथिनों का अपनी वहाली के लिए कलक्टर को दुबारा पत्र |
| 13. | 9-4-1991 | सरपंच अम्बालाल मीना (नया गांव) का बहाली के लिए पुनः पत्र |
| 14. | 13-4-1991 | महिला समूह, अजमेर का कलक्टर को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा कि महिला समूह अजमेर से वेतन नहीं लेती है। |
| 15. | 20-24-4-1991 | तथ्यानवेषण दल का दौरा |

# परिशिष्ट-5

केकरी महिला समूह, केकरी पंचायत समिति के 15 से 20 गांवों में औरतों की बढ़ती हुई शक्ति और विश्वास का परिणाम है। यह औरतों को बल प्रदान करने वाला समूह है और अभी इसका औपचारिक ढ़ाँचा, नियम, सदस्यता इत्यादि नहीं बन पाया है।

महिला विकास कार्यक्रम की गतिविधियों में हिस्सा लेकर ये औरतें सक्रिय हुई और उन्हे यह मौका मिला कि वे इस प्रकार के मंच बना सकें जहां उनकी शोषण इत्यादि की समस्याओं को अभिव्यक्ति मिले।

1988 के अकाल के दौरान कई औरतें परिवार नियोजन के अर्न्तगत हो रही ज्यादतियों की शिकायतें लेकर सामने आई। इसी समय के दौरान पहली बार करडा गांव की औरतों ने एक विधवा 'मालिन' को उसकी जमीन की मलकियत दिलाने तथा गाँव वालों का समर्थन पाने के लिए संगठित होने की पहल की। पहली बार राजपूत सामन्तशाहों का मुकाबला किया गया। इस सब पर म.वि.का. के अधिकारी नाखुश थे क्योंकि उनके अनुसार साथिन अपनी सीमाओं से बाहर राजनीति के क्षेत्र में कदम रख रही थी।

जैसे-जैसे औरतों की शक्ति बढ़ती गई, म.वि.का. का समर्थन घटता गया। 1989 में जब वरदी (चौसला की साथिन) को अपने पति के साथ झगड़े के सिलसिले में जुर्माना देने के जाति पंचायत के निर्णय को चुनौति देने के लिए मदद की जरुरत थी तब म.वि.का. से कोई भी आगे नहीं आया। पड़ौस के गांवों की औरतों ने आगे आकर इस मुद्दे को केकरी स्तर पर निपटाने की सोची। बाद में महिला समूह, अजमेर ओर म.वि.का. की अन्य साथिनें भी जुड़ गई।

इस तरह से कई मुद्दे सामने आये और महिलाओं के स्पोर्ट ग्रुप अपने आप विकसित होने लगे। 5 मार्च 1990 को केकरी में महिला दिवस मनायागया। एक जलूस निकाला गया और काम, मजदूरी और पानी के लिए बी.डी.ओ को ज्ञापन दिया गया। म.वि.का. के द्वारा ट्रांसपोर्ट, चाय इत्यादि के लिए कुछ पैसा दिया गया लेकिन कई औरतों ने अपना खर्चा किया।

जुलाई 1990 को कई गांवों की औरतों ने कालीकट जाने और राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने की इच्छा प्रकट की। कई औरतों ने किराये के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। 16 औरतों नें महिला समूह, अजमेर को (जो कि इस संदर्भ में काम कर रहा था) जाने के लिए अपने नाम दिए। दिसम्बर में हुई एक बैठक में केकरी की औरतों ने कालीकट में अपनी स्वतन्त्र पहचान बनाने की इच्छा प्रकट की। इसका मतलब यह था कि वे अजमेर के दूसरे समूहों जैसे कि महिला समूह, अजमेर, सस्विका, एस.ड़ब्ल्यू.आर.सी तिलोनिया के साथ विलय नहीं चाहते थे। इस उद्देश्य से एक अलग नाम और झण्डा सोचा गया और पीरा बाई को अपना प्रवक्ता मनोनित किया गया।

यह समूह लगभग 15-20 गांवों में सक्रिय है। विभिन्न गांवों में 5 से 20 औरतें इसमें सक्रिय रुप से काम कर रही है। यह समूह मूल रुप से आपसी समझ और विश्वास के आधार पर काम कर रहा है। एक स्थानीय सम्पर्क नेटवर्क तैयार किया गया है और जब-जब मुद्दे उठते हैं तो जरुरत के हिसाब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं।

रिपोर्ट की प्रतियां नीचे दिए गए महिला संगठनों/समूहों से ली जा सकती हैं।

☐ सहेली
यूनिट दुकान नं० 105-108 के ऊपर,
डिफैन्स कालोनी फलाई ओवर के नीचे,
नई दिल्ली-110024

☐ फोरम अगेनस्ट औप्रेशन आफ वूमेन
2, विश्वदीप
95 भानदाजी रोड़
मातुनगा, बम्बई-400019

☐ महिला समूह, अजमेर
K-72, क्रिश्चियन गंज,
अजमेर-305001

☐ केकरी महिला समूह
पोस्ट एण्ड ग्राम देवलिया खुर्द
भाघेरा रोड़
पंचायत समिति
केकरी, जिला अजमेर

चुप्पी, सबसे बड़ा खतरा है
जिंदा आदमी के लिए
तुम नहीं जानते
वह कब तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जायेगी
और सर्वाधिक सुनाई देगी
तुम देखते हो एक ग़लत बात
और खामोश रहते हो
वे यही चाहते हैं
और इसीलिए
चुप्पी तारीफ करते हैं
साथ ही यह सत्य है कि
वे आवाज से बेतरह डरते हैं
इसीलिए, बोलो
बोलो अपने हृदय की आवाज से
अपने रक्त में गूंजते नगाड़ों की गरज से
आकाश की असमर्थ खामोशी को चीरते हुए
बोलो
दिमाग में बारूद
बारूद में धमाका
धमाके में राग
और राग में रंग भरते हुए
अपने सूखे खून का
भले ही
कानों पर पहरे हों
जुबानों पर तालें हों
भाषाएं
बदल दी गयी हो रातों रात
आवाज़, अगर सचमुच आवाज़ है
तो दब नहीं सकती
वह सतत आवाज़ है।

— मुक्तिबोध